संख्या– २। /2023/1307/77–6–23–2(एम)/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीडा/यीडा/गीडा/सीडा।

लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2023

औद्योगिक विकास अनुभाग–6

विषय– 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022' के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा–निर्देश एवं कियान्वयन की प्रकिया' निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वसमावेशी एवं त्वरित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु राज्य को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के विज़न के अनुरूप निवेश आकर्षण तथा निवेश परियोजनाओं की निर्बाध व ससमय स्थापना के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं.–45/2022/2770/77–6–2022–2(एम)/2022 दिनांक 04.11.2022 द्वारा 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022' प्रख्यापित की गई है।

2– 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022' के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा–निर्देश एवं कियान्वयन की प्रकिया' निम्नवत निर्धारित की गई है:–

1. प्रस्तावना

1.1. इस शासनादेश को औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के शासनादेश सं. –45/2022/ 2770/ 77–6–2022–2(एम) /2022 दिनांक 04.11.2022 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के **अध्याय–12** के अन्तर्गत परिभाषित वित्तीय प्रोत्साहनों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश के रूप में नामित किया जायेगा।

1.2. यह शासनादेश नीति के अंतर्गत अध्याय–12 में प्रदत्त प्रोत्साहन–लाभों के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 04.11.2022 से 03.11.2027 तक की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधित किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

2. परिभाषाएं

2.1. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के **प्रस्तर 12.1** के अंतर्गत उल्लिखितपात्रता तथा परिभाषाएं, नीति के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहनों हेतु प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने के लिए लागू होंगी, पात्रता तथा परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं–

2.1.1. **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से यह नीति प्रभावी हुई है, अर्थात् 04.11.2022।

2.1.2. **प्रभावी अवधि** का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।

2.1.3. **पात्र औद्योगिक उपक्रम** का अभिप्राय किसी कंपनी, साझेदारी फर्म के रूप में गठित इकाई के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम (संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम को छोड़ कर, जिसमें सरकार अथवा सरकारी उपक्रम की शेयर पूंजी 50 प्रतिशत अथवा अधिक हो), एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी समिति, स्वामित्व वाली संस्था से है, जो विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, कॉण्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग अथवा आर्टिकल्स के जॉबवर्क के कार्य में संलग्न हों तथा नवीन अथवा विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित हों।

क) यहां **'विनिर्माण'** का अभिप्राय कच्चे माल अथवा इनपुट के किसी भी विधि से प्रसंस्करण एवं असेम्ब्लिंग (assembling) से है, जिसके परिणामस्वरूप एक पृथक नाम, प्रकृति एवं उपयोग वाले नवीन उत्पाद का उद्भव होता है।

ख) **'जॉब वर्क'** का अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त वस्तुओं पर किए गए किसी प्रकार के कार्यसे है।

2.1.4. **विस्तारीकरण** का अभिप्राय एक ऐसे वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है।

2.1.5. **विविधीकरण** का अभिप्राय एक ऐसे वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो वर्तमान उत्पाद से पूर्णरूपेण पृथक प्रकृति के उत्पाद (तथा किसी विद्यमान उत्पाद का दूसरा स्वरूप नहीं हो) का विनिर्माण करता है। इसके अतिरिक्त विविधीकरण के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होने के लिए, औद्योगिक उपक्रम को अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत् की वृद्धि करनी होगी अथवा नए पूंजी निवेश के माध्यम से इस नीति में पारिभाषित मेगा अथवा उससे उच्च श्रेणी की परियोजना के रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

2.1.6. **पूंजी निवेश** हेतु उत्तर प्रदेश में एकल परिसर में स्थापित पात्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा वहन की जाने वाली निम्नलिखित लागत पर विचार किया जाएगा:–

भूमि	भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य को परियोजना के लिए भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्जेज़को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। यदि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा आवंटित की जाती है, तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्जेज़ को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि भूमि निजी स्रोतों से पट्टे पर प्राप्त की जाती है, तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्जेज़ को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। निजी पक्ष से भूमि पट्टे पर लेने के प्रकरण में, पट्टा–अवधि, स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि के पश्चात कम से कम 03 वर्षों के लिए वैध होनी चाहिए
भवन	भवन का अभिप्राय ऐसे नवीन भवन से है, जो परियोजना हेतु निर्मित किया गया हो।इसमें प्रशासनिक भवन भी सम्मिलित होगा। संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, आंतरिक (इन–हाउस) परीक्षण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं एवं विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य भवनों तथा श्रमिकों के लिए छात्रावास/डॉरमेट्री से संबंधित भवन, कार्यालय स्थान एवं प्रशासनिक परिसरकी स्थापना के लिए निर्मित नवीन भवनों की लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार विचारित किया जाएगा।
नोट : पूंजी निवेश की गणना के उद्देश्य से कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 30 प्रतिशत् (जिसमें इस नीति में पारिभाषित भूमि का वास्तविक मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, संयंत्र व मशीनरी तथा अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हैं) को कुल भूमि तथा भवन घटक के रूप में विचारित किया जाएगा।	
अन्य निर्माण	अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, वॉटर टैंक, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है।
संयंत्र एवं मशीनरी	संयंत्र एवं मशीनरी का अभिप्राय नवीन स्वदेशी/आयातित संयंत्र व मशीनरी, सुविधाओं, डाई, मोल्ड्स, जिग्स एवं फिक्सचर्स तथा समान प्रकार के उत्पादन से संबंधित उपकरणों से है, जिनका स्वामित्व व उपयोग संयंत्र के भीतर हो। इसमें परिवहन की लागत, नींव, निर्माण, स्थापना तथा विद्युतीकरण की लागत सम्मिलित होगी। विद्युतीकरण की लागत में विद्युत उपकेंद्र एवं ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। ऐसे अन्य टूल्स एवं उपकरण, जो उत्पाद/उत्पादों के निर्माण के लिए सहायक हैं, को भी सम्मिलित किया जाएगा। संयंत्र एवं मशीनरी में गैर–पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयंत्र;अनुसंधान एवं विकास; केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा ऐसे परिसर के अन्दर माल के परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सामग्री हैंडलिंग उपकरण;औद्योगिक उपक्रम के परिसर में स्थापित कैप्टिव विद्युत उत्पादन/सह–उत्पादन संयंत्र, जिसके विद्युत उत्पादन का न्यूनतम 75 प्रतिशत् का उपयोग भी औद्योगिक उपक्रम में किया जाए; जल–उपचार संयंत्र, अपशिष्ट/उत्सर्जन अथवा ठोस/गैसीय खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण, उपचार, निस्तारण की सुविधा सहित प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा डीजल जेनरेटर सेट एवं बॉयलर भी सम्मिलित होंगे। विदेशों से प्रतिस्थापित (Relocate) होने वाले औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आयातित पुराने संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 40 प्रतिशत् भी इस मद

	में पात्र माना जाएगा, बशर्ते अधिप्राप्ति के समय मशीनरी की उपयोगिता अवधि कम से कम 10 वर्ष हो।
अवस्थापना सुविधाए	अवस्थापना सुविधाओं का अभिप्राय ऐसी नई सड़कों, सीवर लाइनों, जल–निकासी, विद्युत लाइनों, रेलवे साइडिंग अवस्थापना अर्थात् इकाई के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सुविधाओं से है, जो उपक्रम के परिसर को मुख्य अवस्थापना ट्रंक लाइनों से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए स्थापित अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट), उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) को भी सम्मिलित किया जाएगा।

2.1.7. **अपात्र पूंजी निवेश**– कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक एवं पूर्व–संचालन व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी के अधिग्रहण के लिए लेखा–पुस्तकों में अंकित पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन एवं ड्रॉइंग्स; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, अमूर्त परिसंपत्ति (Intangible Assets) तथाविद्युत उत्पादन (कैप्टिव उपयोग को छोड़कर, जैसा कि इस नीति में पारिभाषित पूंजी निवेश के संयंत्र और मशीनरी मद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) को अपात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। पूंजी निवेश की गणना के लिए ऐसे मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.1.8. **कट–ऑफ तिथि** का अभिप्राय–

i. यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होता है, तो नीति की प्रभावी अवधि में निवेश प्रारम्भ होने की तिथि से है;

ii. यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ होता है, तो इस नीति की प्रभावी तिथि से है। यदि केवल भूमि नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व अर्जित की जाती है, तो औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूँजी निवेश के अन्तर्गत परिभाषित किसी अन्य मद (भूमि को छोड़कर) में नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात किये गये प्रथम निवेश की तिथि से है।

तलिका 1 : विशिष्ट प्रकरणों में कट–ऑफ तिथि

प्रकरण	परिदृश्य	कट–ऑफ तिथि
प्रकरण–1	प्रभावी तिथि के पश्चात 100 प्रतिशत निवेश किया गया हो	जिस तिथि का भूमि का विक्रय विलेख पंजीकृत किया गया हो
प्रकरण–2	प्रभावी तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर भूमि में निवेश किया गया हो तथा शेष निवेश प्रभावी तिथि के पश्चात किया गया हो	पूंजी निवेश (भूमि को छोड़कर) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी मद में (प्रथम चालान (Invoice) के आधार पर) प्रथम व्यय की तिथि
प्रकरण–3	प्रभावी तिथि से पूर्व 05 वर्ष की अवधि से पूर्व (केवल) भूमि में निवेश किया गया हो तथा पूंजीगत निवेश हेतु परिभाषित शेष मदों के अधीन प्रथम व्यय प्रभावी तिथि के पश्चात किया गया हो	पूंजी निवेश (भूमि को छोड़कर) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी मद में (प्रथम चालान (Invoice) के आधार पर) प्रथम व्यय की तिथि
प्रकरण–4	प्रभावी तिथि से पूर्व 05 वर्ष की अवधि से पूर्व (केवल) भूमि में निवेश किया गया हो तथा पूंजीगत निवेश हेतु परिभाषित शेष मदों के अधीन प्रथम	प्रभावी तिथि

	व्यय प्रभावी तिथि से पूर्व के 05 वर्षों की अवधि में किया गया हो	

2.1.9. **पात्र निवेश अवधि** का अभिप्राय इस नीति की प्रभावी अवधि में वृहद् परियोजनाओं हेतु कट–ऑफ तिथि से प्रारंभ होने वाली 04 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, मेगा परियोजनाओं हेतु 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, सुपर मेगा परियोजनाओं हेतु 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं हेतु 09 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, से है।

श्रेणी	पात्र निवेश अवधि
वृहद्	**4** वर्ष
मेगा	**5** वर्ष
सुपर मेगा	**7** वर्ष
अल्ट्रा मेगा	**9** वर्ष

इसमें ऐसे प्रकरण भी पूंजी निवेश के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, जिनमें निवेश प्रारंभ करने की तिथि (सभी श्रेणियों के लिए) प्रभावी तिथि से गत् 05 वर्षों के अंदर हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रभावी तिथि के बाद प्रारम्भ हो। शर्त यह होगी कि पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत प्रभावी तिथि के पश्चात् किया गया हो।

यद्यपि, पूंजी निवेश के भूमि घटक में प्रभावी तिथि से गत् 05 वर्ष से पहले किया गया निवेश, पूंजी निवेश की गणना करने हेतु अनुमन्य होगा। भूमि में इस प्रकार के निवेश का मूल्य भूमि क्रय किए जाने के समय बुक–वैल्यू पर माना जाएगा तथा इसके पश्चात् भूमि का किया गया कोई भी पुनर्मूल्यांकन मान्य नहीं होगा।

2.1.10. प्रोत्साहनों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित 04 निवेश प्रतिबद्धता–आधारित **परियोजना श्रेणियों** को चिन्हित किया गया है (तालिका–3)। प्रत्येक परियोजना–श्रेणी की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित **Threshold Investment** कहा जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

तालिका–3

श्रेणी	पूंजी निवेश
वृहद्	₹50 करोड़ से अधिक किन्तु ₹200 करोड़ से कम
मेगा	₹200 करोड़ या उससे अधिक किन्तु ₹500 करोड़ से कम
सुपर मेगा	₹500 करोड़ या उसे अधिक किन्तु ₹3,000 करोड़ से कम
अल्ट्रा मेगा	₹3,000 करोड़ या उससे अधिक

2.1.11. **पात्र पूंजी निवेश–ईसीआई (Eligible Capital Investment: ECI)** का अभिप्राय ऐसे पूंजी निवेश से है, जो किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा इस नीति की प्रभावी तिथि के बाद पात्र निवेश अवधि में किया गया हो। यदि औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूंजी निवेश, प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम् 80 प्रतिशत, नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया जाना चाहिए तथा उक्त पूंजी निवेश को ही पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। यद्यपि, निवेश की परियोजना श्रेणी (वृहद्/मेगा/सुपर मेगा/अल्ट्रा मेगा) निर्धारण हेतु पात्र निवेश अवधि में किया गया पूंजी निवेश, जैसी कि गणना की गई है, पर विचार किया जाएगा।

यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात्, किन्तु (श्रेणी के आधार पर) 4/5/7/9 वर्षों के अन्दर किए गए पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत् से कम निवेश को भी पात्र पूंजी निवेश (ECI) माना जाएगा, किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में परियोजना श्रेणी, इस नीति में प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार ही निर्धारित होगी।

2.1.12. **चरणबद्ध निवेश** करने वाले औद्योगिक उपक्रम इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते ऐसे आवेदन, प्रथम चरण के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाएं।

i. ऐसे प्रकरणों में, संबंधित प्रोत्साहन Threshold Investment को पूरा करने तथा संबंधित चरण, जिसमें Threshold Investment पूर्ण किया गया हो, के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ही संवितरित किए जाएंगे।

ii. चरणबबद्ध अतिरिक्त (Additional) पात्र पूंजी निवेश पर इकाई सुसंगत Incremental प्रोत्साहन (Incremental Incentives) की पात्र होगी, यद्यपि पात्र निवेश अवधि नीति के अनुसार ही रहेगी।

2.2. **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि** का अभिप्राय पात्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की तिथि से है। यह वह तिथि होगी–

i. जिस तिथि को आवेदक अंतिम रूप सें विनिर्मित/तैयार माल का प्रथम माल एवं सेवा कर (जीएसटी) चालान (इनवॉइस बिल) (उत्पादन के परीक्षण पर विचार नहीं किया जाएगा) बनाता है,जिसका सत्यापन इन्वेस्ट यूपी में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) में तैनात किए गए वाणिज्य कर विभाग के समर्पित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अथवा

ii. IEM (औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन) भाग–बी, जिसको उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

2.3. **क्षमता उपयोग** (कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन) का अभिप्राय किसी वर्ष–विशेष में पात्र औद्योगिक इकाई के उत्पादन बेस पर उत्पादित वस्तुओं/वस्तुओं की इकाइयों (अंतिम रूप से विनिर्मित/तैयार माल की मात्रा) के संदर्भ में स्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन के प्रतिशत अनुपात से है।

Manaf

2.4. **रोजगार** का अभिप्राय उन समस्त कार्यों से है, जो प्रत्यक्ष रूप से आबद्ध कर्मचारियों एवं संविदा श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किए जाते हैं, जिन्हें इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के उद्देश्य से 'कर्मचारियों' के रूप में माना जाएगा–

2.4.1. **प्रत्यक्ष कर्मचारियों** का अभिप्राय उन कर्मचारियों से है, जिनका कंपनी के साथ सीधा संविदात्मक संबंध है।

2.4.2. **संविदा (ठेका) श्रमिक** का अभिप्राय उन कर्मचारियों से है, जो किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से किसी प्रतिष्ठान के कार्य या 'सेवा हेतु अनुबंध' के संबंध में नियोजित किए गए हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति, जिन्हें ठेकेदार द्वारा आबद्ध किया जाता है, पर्यवेक्षण किया जाता है तथा पारिश्रमिक दिया जाता है, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्पूर्ति (compensate) की जाती है। संविदा श्रमिक द्वारा ठेकेदार से मजदूरी प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि, अनुबंध में निम्नलिखत सम्मिलित नहीं होंगे–

अ) अस्थायी श्रमिक एवं अस्थायी कर्मचारी

ब) आउट–वर्कर्स, अर्थात्– एक व्यक्ति जिसको मुख्य नियोक्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से कोई वस्तु अथवा सामग्री बनाने, साफ करने, धोने, परिवर्तित करने, अलंकृत करने, तैयार करने, मरम्मत करने, अनुकूलित करने अथवा अन्यथा संसाधित करने के लिए दी जाती है। प्रमुख नियोक्ता के व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों हेतु विक्रय के लिए तथा प्रक्रिया या तो आउट–वर्कर के आवास पर या किसी अन्य परिसर में की जानी है, जो परिसर मुख्य नियोक्ता के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत नहीं है।

स) परियोजना–परिसर के स्थल पर कार्य नहीं किया जा रहा है।

2.4.3. उपर्युक्तपरिभाषित प्रत्यक्ष कर्मचारी एवं संविदा श्रमिक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से आच्छादित होने चाहिए।

2.5. **औसत वार्षिक रोजगार** का अभिप्राय किसी वर्ष–विशेष में पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) रजिस्टर में प्रति माह प्रदान किए गए रोजगार (जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है) की औसत संख्या से है।

2.6. **निर्यात** का अभिप्राय किसी वर्ष–विशेष में पात्र औद्योगिक इकाई के उत्पादन केंद्र (बेस) निर्मित कुल उत्पादों/वस्तुओं में से निर्यात की गई वस्तुओं/वस्तुओं की कुल इकाइयों (मात्रा) से है। इस प्रकार का निर्यात बिल–टू–शिप आधार पर सत्यापित किया जाएगा।

2.7. **इनपुट खरीद** का अभिप्राय पात्र औद्योगिक इकाई द्वाराकिसी वर्ष–विशेष में पात्र औद्योगिक इकाई के उत्पादन केंद्र पर तैयार उत्पाद/वस्तु के विनिर्माण हेतु कच्चे माल/इनपुट संसाधनों के रूप में पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा विभिन्न विनिर्माताओं से क्रय की गईं वस्तुओं/वस्तुओं की कुल इकाइयों (मात्रा) से है। इसमें व्यय होने वाली ओवरहेड लागत सम्मिलित नहीं है।

2.8. **शुद्ध राज्य माल एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी)**का अभिप्राय अंतिम रूप से विनिर्मित पात्र तैयार उत्पादों के प्रथम विक्रय के संबंध में पात्र इकाई द्वारा कर अवधि के लिए सेट–ऑफ या किसी अन्य क्रेडिट (जो भी कम हो) के समायोजन के बाद नकद बहीखाता (Cash ledger) के माध्यम से भुगतान की गई एसजीएसटी की राशि से है, अंतिम रूप से विनिर्मित पात्र तैयार उत्पादों के प्रथम विक्रय उत्तर प्रदेश के भीतर एक इकाई को आपूर्ति एवं बिल प्रदान किया जाना चाहिए,

Manaf

जिसका सत्यापन इन्वेस्ट यूपी में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) में तैनात किए गए वाणिज्य कर विभाग के समर्पित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2.9. **तिमाही** का अभिप्राय एक कैलेंडर वर्ष के माह मार्च, जून, सितंबर एवं दिसंबर के अंतिम दिवस को समाप्त होने वाले 3–निरंतर कैलेंडर माहों की अवधि से है।

2.10. **टर्नओवर** (विक्रय राशि) का अभिप्राय समस्त कर–योग्य आपूर्ति के कुल मूल्य से है (आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देय होता है), छूट–प्राप्त आपूर्ति, वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्यात अथवा दोनों, तथा समान स्थायी खाता संख्या (पर्मानेंट अकाउण्ट नम्बर) वाले व्यक्तियों की अंतर–राज्य आपूर्ति, जिसकी गणना अखिल भारतीय आधार पर की जाएगी, किन्तु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र–शासित प्रदेश कर, एकीकृत कर और उपकर सम्मिलित नहीं हैं[1]।

2.11. **Incremental टर्नओवर** (परियोजना के विस्तारीकरण के प्रकरण में) का अभिप्राय विस्तारीकरण के उपरांत वर्तमान टर्नओवर तथा औसत बेस टर्नओवर के अंतर से है, जहां औसत बेस टर्नओवर का तात्पर्य गत् 05 वित्तीय वर्षों में टर्नओवर (या इससे कम, यदि इकाई 05 वर्ष से कम अवधि में उत्पादनरत् है), (अर्थात एकल–चरण परियोजना के प्रकरण में उस वित्तीय वर्ष से पूर्व के 05 वर्ष की अवधि, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि आती है, अथवा बहु–चरण परियोजना में प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 05 वर्ष पूर्व)।

2.12. **लेटर ऑफ कम्फर्ट** का अभिप्राय नीति के अंतर्गत पात्र औद्योगिक उपक्रमों को प्रभावी अवधि के भीतर स्वीकार्य प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के दावे का राज्य सरकार के स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्गत पत्र से है।

2.13. **नोडल संस्था** का अभिप्राय औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर 16.13.1 के अनुसार प्रोत्साहन हेतु आवेदनों पर कार्यवाही हेतु 'इनवेस्ट यूपी' से है।

2.14. **संस्तुति प्राधिकारी** का अभिप्राय नीति के प्रस्तर 16.13.4 के अनुसार वृहद् श्रेणी की परियोजनाओं हेतु स्वीकृति व वितरण (Disbursement) की संस्तुति करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली प्राधिकृत समिति से तथा नीति के प्रस्तर 16.13.5 के अनुसार मेगा एवं उससे उच्च की श्रेणी की परियोजनाओं के आवेदनों की स्वीकृति व वितरण (Disbursement) की संस्तुति करने के लिए मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता वाली उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति से है।

2.15. **स्वीकृति प्राधिकारी** का अभिप्राय नीति के प्रस्तर 16.13.4 के अनुसार वृहद् श्रेणी की स्वीकृति एवं वितरण (Disbursement) हेतु माननीय उद्योग मंत्री, उ.प्र. शासन से है तथा नीति के प्रस्तर 16.13.5 के अनुसार मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी हेतु माननीय मंत्रिपरिषद्, उ.प्र. शासन से है।

3. स्वीकार्य प्रोत्साहन–लाभ

पात्र आद्योगिक उपक्रम निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे–

[1]Reference as per sec 2 of CGST Act

3.1. **नीति के प्रस्तर 12.2 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में छूट निम्नानुसार स्वीकार्य होगी–**

तालिका–4: स्टाम्प ड्यूटी में छूट			
क्षेत्र / श्रेणी	गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद	मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर)	बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र
वृहद्	50 प्रतिशत	75 प्रतिशत	100 प्रतिशत
मेगा	50 प्रतिशत	75 प्रतिशत	100 प्रतिशत
सुपर मेगा	50 प्रतिशत	75 प्रतिशत	100 प्रतिशत
अल्ट्रा मेगा	50 प्रतिशत	75 प्रतिशत	100 प्रतिशत
नोट :क्षेत्रों का विवरण अनुलग्क 4 के अनुसार			

3.2. **निवेश प्रोत्साहन उपादान,** नीति के प्रस्तर 12.3 के अनुसार पात्र औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होंगे।

3.2.1. **विकल्प 1: पूंजीगत् उपादान**

3.2.1.1. इस विकल्प के अंतर्गत, पात्र औद्योगिक उपक्रम तालिका–5 के अनुसार बेस पूंजीगत उपादान गुणा सकल क्षमता उपयोग गुणक (जीसीएम) के बराबर पूंजीगत उपादान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह लाभ वार्षिक किस्तों में तालिका–5 में उल्लिखित वार्षिक सीमा के अधीन होगा।

वार्षिक पूंजीगत् उपादान = (बेस पूंजीगत् उपादान X सकल क्षमता उपयोग गुणक (जीसीएम)) ÷ अनुमन्य प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) अवधि

तालिका–5 : पूंजीगत् उपादान एवं वार्षिक सीमा (ईसीआई = पात्र पूंजी निवेश)				
जनपद/क्षेत्र	वृहद्	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई का 10 प्रतिशत्	ईसीआई का 18 प्रतिशत्	ईसीआई का 20 प्रतिशत्	ईसीआई का 22 प्रतिशत्
मध्यांचल व पश्चिांचल (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर)	ईसीआई का 12 प्रतिशत्	ईसीआई का 20 प्रतिशत्	ईसीआई का 22 प्रतिशत्	ईसीआई का 25 प्रतिशत्
बुंदेलखंड व पूर्वांचल	ईसीआई का 15 प्रतिशत्	ईसीआई का 22 प्रतिशत्	ईसीआई का 25 प्रतिशत्	ईसीआई का 30 प्रतिशत्
प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) अवधि	10 वर्षों में 10 वार्षिक किस्तों में	12 वर्षों में 12 वार्षिक किस्तों में	15 वर्षों में 15 वार्षिक किस्तों में	20 वर्षों में 20 वार्षिक किस्तों में
Overall सीमा	₹5 करोड़	₹ 10 करोड़	₹50 करोड़	₹ 150 करोड़
बूस्टर के साथ Overall सीमा	लागू नही	₹15 करोड़	₹75 करोड़	₹210 करोड़

3.2.1.2. सकल क्षमता उपयोग गुणक (जीसीएम) की गणना निम्नानुसार की जाएगी–

i. प्रथम वर्ष के लिए जीसीएम 1 माना जाएगा, यदि इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 40 प्रतिशत हो।

ii. यदि प्रथम वर्ष में इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 40 प्रतिशत से कम हो, तो जीसीएम को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा–

Manoj

जीसीएम(प्रथम वर्ष में)= न्यूनतम (40%, विचाराधीन वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग) ÷ 40%

iii. अनुवर्ती वर्षों के लिए जीसीएम 1 माना जाएगा, यदि इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 75 प्रतिशत हो।

iv. अनुवर्ती वर्षोंमेंयदि इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 75 प्रतिशत से कम हो, तो जीसीएम को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार आनुपातिक रू॰ से कम किया जाएगा–

जीसीएम(अनुवर्ती वर्षोंमें)= न्यूनतम (75%, विचाराधीन वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग) ÷ 75%

v. यदि किसी वर्ष में वास्तविक उत्पादन तथा स्थापित क्षमता का अनुपात 10 प्रतिशत से कम अथवा उसके बराबर है, तो जीसीएमशून्य होगा।

vi. चरणबद्ध निवेश के प्रकरण में, प्रत्येक चरण के बाद प्रथम् वर्ष के जीसीएम को, किए गए अतिरिक्त निवेश हेतु 1 माना जाएगा, यदि वास्तविक उत्पादन तथा अतिरिक्त स्थापित क्षमता का अनुपात न्यूनतम् 40 प्रतिशत है। अनुवर्ती वर्षों में, यदि इकाई के वास्तविक उत्पादन तथा अतिरिक्त स्थापित क्षमता का अनुपात 75 प्रतिशत है, तो जीसीएम1 होगा तथा यदि इससे कम है, तो जीसीएमआनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

vii. विस्तारीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, विद्यमान इकाई की स्थापित क्षमता वह होगी, जो उस वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में थी, जिसमें विस्तारीकरण परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है। जीसीएम की गणना अतिरिक्त निवेश के कारण स्थापित क्षमता के फलस्वरूप प्राप्त Incrementalक्षमता उपयोग (Incremental Capacity Utilisation) के आधार पर की जाएगी।

viii. विविधीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, जीसीएमकी गणना, अतिरिक्त निवेश के माध्यम से नए उत्पाद/उत्पादों हेतु स्थापित अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के आधार पर की जाएगी।

ix. किसी वर्ष विशेष में 1 से कम जीसीएमके कारण पूंजीगत उपादान में हुई घटोत्तरी को आगामी वर्षों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

3.2.1.3. **उपादान बूस्टर** :तालिका–5 में उल्लिखित बूस्टर के साथ वार्षिक सीमा के अधीन, मेगा एवं उससे उच्च की श्रेणी की परियोजनाएं निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अतिरिक्त पूंजीगत् उपादान का लाभ प्राप्त कर सकती हैं–

वार्षिक पूंजीगत् उपादान = {(बेस पूंजीगत् उपादान + रोजगार बूस्टर + निर्यात बूस्टर + पारिस्थिकी तंत्र बूस्टर) x जीसीएम} ÷ अनुमन्य प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) **अवधि**

i. **रोजगार बूस्टर**–मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं तालिका–6 के अनुसार न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने पर निम्नलिखित रोजगार बूस्टर का लाभ उठा सकती हैं।

तालिका–6: परियोजना श्रेणीवार न्यूनतम रोजगार संख्या	
श्रेणी	न्यूनतम रोजगार
मेगा	300
सुपर मेगा	600
अल्ट्रा मेगा	1,500

(क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए औसत वार्षिक रोजगार (कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित) को आधार मानते हुए वार्षिक रोजगार बूस्टर के प्रतिशत् की गणना की जाएगी।

(ख) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार नियोजित करने अथवा प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर – ईसीआई के 02 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर अनुमन्य होगा।

(ग) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के दोगुने से अधिक नियोजित करने अथवा न्यूनतम रोजगार की दोगुना की 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर – ईसीआई के 03 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर अनुमन्य होगा।

(घ) प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के तीन गुना से अधिक नियोजित करने अथवा न्यूनतम रोजगार के तीन गुना के न्यूनतम 75 प्रतिशत् महिला कर्मियों को नियोजित करने पर– ईसीआई के 04 प्रतिशत् का रोजगार बूस्टर अनुमन्य होगा।

ii. **निर्यात बूस्टर**– मेगा व उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं, निर्यात बूस्टर का लाभ उठा सकती हैं, जिसका निर्धारण किसी वर्ष विशेष में किए गए निर्यात (इस नियमावली में परिभाषा के अनुसार) एवं उसी वर्ष के वास्तविक उत्पादन के अनुपात के रूप में निम्नानुसार किया जाएगा–

(क) विचाराधीन वर्ष में यदि निर्यात एवं वास्तविक उत्पादन का अनुपात 25 प्रतिशत् अथवा उससे अधिक हो, तो ईसीआई के 2 प्रतिशत् का निर्यात बूस्टर अनुमन्य होगा।

(ख) विचाराधीन वर्ष में यदि निर्यात एवं वास्तविक उत्पादन का अनुपात 50 प्रतिशत् अथवा उससे अधिक हो, तो ईसीआई के 3 प्रतिशत् का निर्यात बूस्टर अनुमन्य होगा।

(ग) विचाराधीन वर्ष में यदि निर्यात एवं वास्तविक उत्पादन का अनुपात 75 प्रतिशत् अथवा उससे अधिक हो, तो ईसीआई के 4 प्रतिशत् का निर्यात बूस्टर अनुमन्य होगा।

iii. **पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) बूस्टर** –यदि कोई मेगा अथवा उससे उच्चतर श्रेणी की परियोजना, अपने अंतिम उत्पाद के विनिर्माण हेतु उत्तर प्रदेश में

स्थित किसी विद्यमान अथवा नई विनिर्माण इकाई से इनपुट अथवा कच्चा माल प्राप्त करती है, तो उसको निम्नानुसार पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर प्रदान किया जाएगा–

(क) उत्तर प्रदेश में आधारित विनिर्माणकर्ताओं (मैन्यूफैक्चरर्स) से कच्चे माल/इनपुट (इस नियमावली में परिभाषा के अनुसार) के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर– ईसीआई के 02 प्रतिशत् का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर अनुमन्य होगा।

(ख) उत्तर प्रदेश में आधारित विनिर्माणकर्ताओं से कच्चे माल/इनपुट (इस नियमावली में परिभाषा के अनुसार) के 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 75 प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर– ईसीआई के 03 प्रतिशत् का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर अनुमन्य होगा।

(ग) उत्तर प्रदेश में आधारित विनिर्माणकर्ताओं से कच्चे माल/इनपुट (इस नियमावली में परिभाषा के अनुसार) के 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक प्राप्त करने पर– ईसीआई के 04 प्रतिशत् का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर अनुमन्य होगा।

नोट–उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत भारत सरकार की नीतियों/योजनाओं के अधीन प्रोत्साहनों की डवटेलिंग (Dovetailing) की अनुमति है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी नीति/योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों की किसी भी प्रकार की डवटेलिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है। अतः आवेदक इकाई को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों का केवल निर्धारण करने के लिए 'पात्र पूंजी निवेश' में से भारत सरकार की किसी भी नीति/योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहन के परिमाण को घटाया जाएगा।

3.2.2. **विकल्प–2 : शुद्ध राज्य माल एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति (Net SGST Refund)** – इस विकल्प के अंतर्गत नीति के प्रस्तर 12.3.2 के अनुसार पात्र औद्योगिक उपक्रम राज्य के खाते में जमा शुद्ध एसजीएसटी की वापसी का लाभ निम्नलिखित तालिका–7 के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं :

तालिका–7 : शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति

विवरण		वृहद्	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का वार्षिक प्रतिशत्		100%	100%	100%	100%
प्रतिपूर्ति की अवधि (वर्षों में)		6	12	14	16
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	16%	7%	6%	5%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	80%	80%	80%	80%
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर)	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	18%	17%	14%	13%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	90%	200%	200%	200%

बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	20%	25%	21%	19%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	100%	300%	300%	300%

नोट–

(क) इस नीति के अंतर्गत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के आवदनों पर कार्यवाही करने हेतुराज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के माध्यम से शासनादेश सं. संख्या 21/2020/1395/77–6–2020 –5(एम)/2017 टीसी–2 दिनांक 12 जून, 2020 द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू नहीं होगी।

(ख) नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समाधान हेतु मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर प्राधिकृत समिति द्वारा आवश्यक नीतिगत प्राविधानों के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जाएगी या व्याख्या की जाएगी।

(ग) उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदनों पर कार्यवाही के संबंध में नोडल संस्था द्वारा समय–समय पर पृथक स्पष्टीकरण निर्गत किए जाएंगे।

3.2.3. **विकल्प–3 : प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना पर टॉप–अप**–नीति के प्रस्तर 12.3.3 के अनुसार इस विकल्प में भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनों पर पात्र औद्योगिक उपक्रम टॉप–अप का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(क) भारत सरकार की किसी भी पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएलआई प्रोत्साहनों का 30 प्रतिशत् (जब एवं जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा संवितरित किया जाता है) संवितरित किया जाएगा।

(ख) यह प्रोत्साहन, प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की सीमा, ईसीआई (ECI) के 100 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगा।

(ग) पीएलआई योजनाओं की सूची अनुलग्नक–5 में दी गई है, जिसे औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 हेतु गठित मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर मा. मंत्री, औद्योगिक विकास, उ.प्र. द्वारा समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा।

4. लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा प्रोतसाहनों की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रक्रिया–

नीति के अंतर्गत किसी भी प्रोत्साहन का अनुरोध करने के लिए, आवेदक को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण होगा (अनुलग्नक 1 में पंजीकरण फॉर्म का नमूना उपलब्ध है)। ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद, प्रत्येक आवेदन के लिए एक विशिष्ट आईडी जारी की जाएगी।

Manaf

4.1. **स्टाम्प ड्यूटी में छूट के आवेदन हेतु प्रक्रिया**–उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया एवं फॉर्म्स को पृथक शासनादेश के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

4.2. **निवेश प्रोत्साहन उपादान**

4.2.1. **विकल्प 1: पूंजीगत् उपादान**–विकल्प–1 को चुनने पर, आवेदक को निम्नलिखित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप (लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु अनुलग्नक–2 तथा प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु अनुलग्नक–3) में आवेदन पत्र नोडल संस्था में प्रस्तुत करना होगा –

लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख
1. अनुमानित निवेश का विवरण (ब्रेक–अप)– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–1)	<u>आवेदन का प्रथम चरण</u>
2. वित्त पोषण के साधन– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–2)	1. वास्तविक निवेश का विवरण– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–1)
3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–3 के अनुसार सभी मदों के विवरण सहित)	2. कच्चे माल की खरीद का विवरण– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप 5)
4. निगमन (इनकॉरपोरेशन) प्रमाणपत्र की प्रति	3. संयंत्र व मशीनरी का विवरण– चार्टर्ड अभियंता (Chartered Engineer) द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–6)
5. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति	<u>आवेदन का द्वितीय चरण</u>
6. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति	4. वास्तविक उत्पादन का विवरण– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–7)
7. निदेशकों के पैन कार्ड या आधार कार्ड की प्रति	5. निर्यात का विवरण– सी.ए. प्रमाणित (प्रारूप–7ए) – यदि निर्यात बूस्टर लागू हो
8. बोर्ड के संकल्प की प्रति	6. स्टॉक बीमा का विवरण– सी.ए. प्रमाणित (प्रारूप–8)
9. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4)	7. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4)
10. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख	8. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख

4.2.2. **विकल्प 2: नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति**–विकल्प–2 को चुनने पर, आवेदक को निम्नलिखित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप (लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु अनुलग्नक–2 तथा प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु अनुलग्नक–3) में आवेदन पत्र नोडल संस्था में प्रस्तुत करना होगा –

लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख
1. अनुमानित निवेश का विवरण (ब्रेक–अप)– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–1)	1. वास्तविक निवेश का विवरण– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–1)
2. वित्त पोषण के साधन– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–2)	2. वास्तविक उत्पादन का विवरण– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–7)
	3. जमा किए गए जीएसटी का विवरण– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–10)

3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–3 के अनुसार सभी मदों के विवरण सहित) 4. टर्नओवर का विवरण (प्रारूप–9) 5. निगमन (इनकॉरपोरेशन) प्रमाणपत्र की प्रति 6. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति 7. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 8. निदेशकों के पैन कार्ड या आधार कार्ड की प्रति 9. बोर्ड के संकल्प की प्रति 10. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4) 11. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख	4. सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों के लिए संदर्भ की शर्तें (टर्म्स ऑफ रिफरेंस) (प्रारूप–10बी) 5. जीएसटी विशेषज्ञों हेतु संदर्भ की शर्तें (टर्म्स ऑफ रिफरेंस) (प्रारूप–10सी) 6. जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट 7. विनिर्मित वस्तुओं/व्यापारिक वस्तुओं/स्क्रैप/स्टॉक ट्रांसफर के विक्रय समाधान (reconciliation) के लिए सीए का प्रमाणपत्र 8. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख

नोट–नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध त्रैमासिक आधार पर किए जाएंगे।

4.2.3. **विकल्प 3: पीएलआई योजना पर टॉप–अप**–विकल्प–3 को चुनने पर, आवेदक को निम्नलिखित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप (लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु अनुलग्नक–2 तथा प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु अनुलग्नक–3) में आवेदन पत्र नोडल संस्था में प्रस्तुत करना होगा –

लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख
1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–3 के अनुसार सभी मदों के विवरण सहित) 2. भारत सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया अनुमोदन/स्वीकृति पत्र/प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पत्र 3. निगमन (इनकॉरपोरेशन) प्रमाणपत्र की प्रति 4. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रति 5. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति 6. निदेशकों के पैन कार्ड या आधार कार्ड की प्रति 7. बोर्ड के संकल्प की प्रति 8. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4) 9. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख	1. वास्तविक निवेश का विवरण– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–1) 2. वास्तविक उत्पादन का विवरण– सी.ए. द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–7) 3. भारत सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा संबंधित पीएलआई योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु पत्र 4. आवेदक संस्था के बैंक स्टेटमेंट की प्रति (संवितरित प्रोत्साहन राशि की प्रविष्टि सहित) 5. स्व–घोषणा पत्र (प्रारूप–4) 6. (यथावश्यकता) अन्य अभिलेख

नोट–पीएलआई टॉप–अप उपादान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान/उपादान के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। यद्यपि, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से किसी भी आवेदक को कुल उपादान, पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगी।

अतः, किसी भी आवेदक को स्वीकार्य टॉप–अप उपादान को समग्र सीमा के अनुरूप रखा जाएगा।

4.3. **विकल्प चुनने के अवसर**

4.3.1. निवेश प्रोत्साहन उपादान तीन (03) पारस्परिक रूप से पृथक विकल्पों के रूप में प्रदान किया जाता है, अर्थात– पूंजीगत उपादान, नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एवं पीएलआई टॉप–अप।

4.3.2. पात्र औद्योगिक उपक्रमों को इनमें से किसी एक विकल्प को चुनने का मात्र एक अवसर प्रदान किया जाएगा। इकाई द्वारा परियोजना के प्रारंभ में आवेदन के समय विकल्प का प्रयोग करना होगा।

4.3.3. औद्योगिक निवेशएवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्राविधानों के अनुसार, इस अतिरिक्त अवसर का उपयोग स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान करने के अनुमोदन से पूर्व किया जा सकता है। आवेदक द्वारा चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

4.3.4. आवेदक के पास आवेदन के समय चुने गए विकल्प को परिवर्तित करने का एक अतिरिक्त अवसर होगा, किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति के पूर्व इसका उपयोग किया जा सकेगा। चयनित विकल्प में परिवर्तन के लिए अनुरोध, नोडल संस्था को संस्तुत करने वाले संस्तुति प्राधिकारी की समीक्षा बैठक की तिथि से अधिकतम 05 कार्य–दिवसों के भीतर किया जाना चाहिए।

4.3.5. आवेदक द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी को संबोधित अपने अनुरोध पत्र में विकल्प को परिवर्तित करने के कारण को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी। ऐसे आवेदनों को पीआईयू द्वारा मूल्यांकन समिति की समीक्षा हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

4.3.6. मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के पश्चात आवेदक द्वारा इस नियमावली के अनुच्छेद 4. 2 के अनुसार चयनित नए विकल्प के साथ औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत आवेदन को पुनः प्रस्तुत करना होगा।

4.4. **विस्तारीकरण/विविधीकरण** परियोजनाओं के प्रकरण में, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत केवल incrementalनिवेश ही प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

4.4.1. विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाले औद्योगिक उपक्रमों को उक्त विस्तारीकरण/विविधीकरण हेतु खाते की पृथक पुस्तिका (independent books of accounts) रखनी होगी। यद्यपि ऐसा संभव नहीं होने पर लाभों का आकलन वृद्धिशील टर्नओवर के आधार पर किया जाएगा।

4.4.2. इस प्रकार के आवेदनों को इस नियमावली के अनुच्छेद 4.2 के अनुसार जमा करना होगा।

4.5. **प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement)** हेतु आवेदकों द्वारा निम्नानुसार आवेदन किया जाएगा–

4.5.1. <u>विकल्प–1 हेतु–</u>

Manaf

क) आवेदक औद्योगिक उपक्रम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के 12 माह पश्चात प्रोत्साहन स्वीकार्य होगा।

ख) अतः, प्रोत्साहन के वितरण (Disbursement) हेतु ऑनलाइन आवेदन 02 चरणों में किया जाना होगा–प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण।

ग) इन नियमों के अनुच्छेद 4.2 में सूचीबद्ध सुसंगत अभिलेखों के साथ आवेदक (औद्योगिक उपक्रमों) द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के 90 कार्य दिवसों के भीतर अथवा इन दिशा–निर्देशों/नियमों के निर्गत होने के उपरांत, जो भी पहले हो, प्रथम किस्त के लिए प्रथम चरण का आवेदन नोडल संस्था को ऑनलाइन किया जाना होगा।

घ) इन नियमों के अनुच्छेद 4.2 में सूचीबद्ध संबंधित अभिलेखों के साथ वाणिज्यिक उत्पादन अथवा वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) प्रारंभ होने के 12 माह के उपरांत, जो भी बाद में हो, नोडल संस्था को द्वितीय चरण का आवेदन किया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वितरण (Disbursement) हेतु उक्त आवेदन संबंधित वित्तीय वर्ष के अनुरूप हो।

4.5.2. विकल्प–2 हेतु– आवेदक औद्योगिक उपक्रम द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के पश्चात परियोजना स्थल पर विनिर्मित उत्पादों के प्रथम विक्रय से जीएसटी जमा करने के उपरांत वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन किया जाएगा। विस्तारीकरण/विविधीकरण के प्रकरण में, प्रथम विक्रय का तात्पर्य उन्नत (upgraded) आवेदक इकाई द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के पश्चात किए गए विक्रय से है। नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन त्रैमासिक आधार पर किए जाएंगे।

4.5.3. विकल्प–3 हेतु–वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन भारत सरकार की संबंधित पीएलआई योजना के अंतर्गत आवेदक को प्रोत्साहन संवितरित होने के पश्चात किए जाएंगे।

4.6. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर 16.5 के अनुसार ऐसे प्रकरण, **जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अंतर्गत प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए लेटर–ऑफ–कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं**, तो वे केवल एक विकल्प के अधीन नवीन नीति के प्राविधानों के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु आवेदन कर सकेंगे, यदि वे नवीन नीति में पात्रता हेतु प्राविधानित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करते हैं अथवा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के अंतर्गत विचारित किए जाते रहेंगे।

4.7. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर 16.8 के अनुसार एक **औद्योगिक उपक्रम द्वारा रुग्ण इकाई तथा उसकी परिसंपत्ति का अधिग्रहण करके स्थापित इकाई** भी इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।

4.7.1. रुग्ण इकाई एवं उसकी परिसंपत्ति की कुल अधिग्रहण लागत का 20 प्रतिशत, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 में पारिभाषित पूंजी निवेश के प्रत्येक सुसंगत घटक के लिए विचारित किया जाएगा।

4.7.2. यह प्रोत्साहन तभी अनुमन्य होगा, जब इस प्रकार का अधिग्रहण इस नीति की प्रभावी तिथि से ठीक पूर्व के 05 वर्षों की अवधि से पूर्व नहीं किया गया हो।

Manaf

4.7.3. इस प्रकार, प्राप्त की गई अधिग्रहण लागत के 20 प्रतिशत् का योग एवं प्रभावी तिथि के उपरान्त तथा सुसंगत पात्र निवेश अवधि के अन्दर किए गए नए अतिरिक्त पूंजी निवेश को, परियोजना की श्रेणी निर्धारित करने के लिए, परियोजना के पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा।

4.7.4. तथापि, प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु विचारणीय पात्र पूंजी निवेश, नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया गया केवल नया अतिरिक्त पूंजी निवेश होगा, जो रुग्ण इकाई एवं उसकी परिसंपत्ति की अधिग्रहण लागत के अतिरिक्त होगा।

4.7.5. इस संदर्भ में 'रुग्ण इकाई' का अभिप्राय उस औद्योगिक उपक्रम से है, जो न्यूनतम 05 वर्ष से अस्तित्व में है तथा जिस वित्तीय वर्ष में आवेदक इकाई द्वारा उसको अधिग्रहीत किया गया हो, उस वित्तीय वर्ष के अंत में उसके संपूर्ण नेट वर्थ के बराबर या उससे अधिक की संचित हानि हुई हो।

4.7.6. ऐसे आवेदन इस नियमावली के अनुच्छेद 4.2 के अनुसार नोडल संस्था के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे आवेदनों को संसाधित करने के लिए परिभाषाओं के साथ विस्तृत शासनादेश नोडल संस्था द्वारा पृथक से निर्गत किया जाएगा।

5. मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया

5.1. <u>परीक्षण</u>– नोडल संस्था में गठित की गई नीति कार्यान्वयन इकाई–पीआईयू (Policy Implementation Unit - PIU) द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अनुसार आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा।

5.1.1. <u>पीआईयू की संरचना</u>

i. इन्वेस्ट यूपी के एक नामित नोडल अधिकारी पीआईयू की अध्यक्षता करेंगे, **जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इनवेस्ट यूपी के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।** पीआईयू में आउटसोर्स प्रोफेशनल्स/परामर्शियों एवं अनुभवी सेवानिवृत्त/प्रतिनियुक्त (On deputation)सरकारी अधिकारियों के साथ पर्याप्त कर्मचारी होंगे।

ii. पीआईयू को व्यक्तियों या फर्मों या एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, इंजीनियरों, लागत लेखाकारों, जीएसटी लेखा परीक्षकों आदि द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

iii. पीआईयू में वाणिज्य कर विभाग, उ.प्र. शासन के एक तकनीकी रूप से भिज्ञ अधिकारी को तैनात/प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

5.1.2. <u>पीआईयू की भूमिका</u>

i. पीआईयू द्वारा प्रत्येक आवेदन की पूर्णता व सुसंगतता की जांच की जाएगी तथा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में त्रुटियों एवं विसंगतियों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन किया जाएगा।

Manaf

ii. यदि आवेदन अपूर्ण है, तो पीआईयू में नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन में किसी भी विसंगति या अपूर्णता के विषय में निवेश मित्र के माध्यम से आवेदक से ऑनलाइन प्रतिक्रिया मांगने के लिए पृच्छा करेगा।

iii. इस प्रकार की जांच, नोडल संस्था द्वारा पूर्ण करके ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के 07 कार्य दिवस के भीतर पृच्छा की जाएगी। आवेदक द्वारा पृच्छा की तिथि से 07 कार्य दिवस के भीतर पृच्छा का उत्तर देना होगा। यदि नोडल संस्था को सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उसके द्वारा अनुवर्ती पृच्छा भी की जा सकती हैं। इन अनुवर्ती पृच्छाओं के लिए, नोडल संस्था तथा आवेदक, दोनों के लिए 07 कार्य दिवस की समय सीमा लागू है।

iv. पीआईयू द्वारा विशिष्ट आईडी के माध्यम से किसी भी आवेदक को प्रदान की गई स्टांप ड्यूटी छूट को भी ट्रैक किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी आवेदक को कुल स्वीकार्य प्रोत्साहन, नीति के अनुसार किसी भी चयनित विकल्प के तहत स्वीकार्य प्रोत्साहन की समग्र सीमा से अधिक नहीं है।

v. लेटर ऑफ कम्फर्ट हेतु आवेदन के पूर्ण होने पर,इन्वेस्ट यूपी में गठित पीआईयू के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से एक पावती प्रमाण पत्र जेनरेट किया जाएगा।

vi. इस पावती प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद ही लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन की समीक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह पावती प्रमाणपत्र नीति के अंतर्गत आवेदन की स्वीकृति का प्रमाण मात्र होगा।

vii. नोडल संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को पावती प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। यदि उक्त अवधि में पृच्छाओं का समाधान नहीं होता है, तो उक्त आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है तथा आवेदक से पुनः आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जा सकता है।

viii. प्रारंभिक जांच के बाद, पीआईयू में नोडल अधिकारी प्राप्त आवेदनों को लेटर ऑफ कम्फर्ट एवं प्राप्त वितरण (Disbursement) हेतु संबंधित विभागों को अग्रेषित करेंगे, जो एक सप्ताह के भीतर नोडल एजेंसी को अपनी टिप्पणी प्रदान करेंगे।

ix. प्रोत्साहन–वितरण (Disbursement) हेतु आवेदनों के लिए, पीआईयू में नोडल अधिकारी कंपनी द्वारा किए गए पूंजी निवेश के परीक्षण एवं प्रमाणन की व्यवस्था करेगा, जो नीति के प्राविधान के अनुसार सूचीबद्ध विशेषज्ञ संस्थाओं, अर्थात– सी. ए., मूल्यांकनकर्ता, जीएसटी संवीक्षक, चार्टर्ड अभियंता आदि के माध्यम से होगा। इसमें परियोजना स्थल (भूमि, भवन तथा संयंत्र व मशीनरी) पर स्थापना तथा पूंजी निवेश के सत्यापन की जांच सम्मिलित होगी।

x. नोडल संस्था में सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं इंजीनियर / मूल्यांकनकर्ता सुसंगत उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के समन्वय से आवेदक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों के अनुसार पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति का आकलन एवं सत्यापन करेंगे।

Manoj

xi. संबंधित विभागों तथा सीए/सीई की टिप्पणियों के आधार पर (केवल वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन के प्रकरण में), पीआईयू में नोडल अधिकारी द्वारा टिप्पणियों को तैयार किया जाएगा तथा आवेदन को मूल्यांकन समिति के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2. <u>मूल्यांकन</u>– मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेसट यूपी की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अनुसार आवेदनों का मूल्यांकन करेगी। पावती प्रमाणपत्र निर्गत होने की तिथि से 90 कार्य–दिवसों की अवधि के भीतर मूल्यांकन समिति द्वारा एजेंडा नोट की समीक्षा कर ली जाएगी।

5.2.1. <u>मूल्यांकन समिति की संरचना</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी	अध्यक्ष
पिकप के प्रतिनिधि	सदस्य
स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
वाणिज्य कर विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
श्रम विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
नियोजन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के प्रतिनिधि	सदस्य
सुसंगत जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र (एमएसएमई विभाग)	सदस्य
यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा अथवा किसी अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
वित्त नियंत्रक, इन्वेस्ट यूपी	सदस्य
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी	सदस्य सचिव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी द्वारा यथावश्यकता अन्य राज्य/केंद्र सरकार के विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मूल्यांकन समिति के विशेष आमंत्रियों के रूप में नामित किया जा सकेगा।

5.2.2. <u>मूल्यांकन समिति की भूमिका</u>– मूल्यांकन समिति आवेदनों का मूल्यांकन करेगी तथा संस्तुति प्राधिकारी (अनुच्छेद 2.14 के अनुसार) के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत करेगी।

5.3. <u>संस्तुति</u>–औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अनुसार सुसंगत संस्तुति प्राधिकारी (अनुच्छेद 2.14 के अनुसार) द्वारा आवेदनों को अंतिम अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन समित के माध्यम से एजेंडा नोट के अंतिमीकरण के बाद 90 कार्य–दिवस की अवधि के भीतर संस्तुति प्राधिकारी (अनुच्छेद 2.14 के अनुसार) द्वारा एजेंडा नोट की समीक्षा कर ली जाएगी।

5.3.1. <u>वृहद् श्रेणी हेतु</u>–एक प्राधिकृत समिति की अध्यक्षता अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन द्वारा की जाएगी तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी इसके सदस्य सचिव होंगे।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–वित्त विभाग	सदस्य

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–न्याय विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–वाणिज्य कर विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–नियोजन विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–एमएसएमई विभाग	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा/यूपीडा/ नोएडा/ ग्रेटर नोएडा /यीडा/गीडा	सदस्य
प्रबंध निदेशक, पिकप	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी	सदस्य सचिव

मुख्य कार्यपालक अधिकारी–इन्वेस्ट यूपी यथावश्यकता किसी अन्य संबंधित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख, जिन संस्थाओं से लाभ का अनुरोध किया गया है, को भी सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। समिति की बैठक में आवेदकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है; यद्यपि आवेदकों की अनुपस्थिति स्वीकृति की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी।

5.3.2. मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी हेतु–एक उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) की अध्यक्षता मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन द्वारा की जाएगी तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे।

मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–वित्त विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–न्याय विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–वाणिज्य कर विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–नियोजन विभाग	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–एमएसएमई विभाग	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा/यूपीडा/ नोएडा/ ग्रेटर नोएडा /यीडा/गीडा	सदस्य
प्रबंध निदेशक, पिकप	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य सचिव

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव–अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यथावश्यकता अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा सकेगा। यथावश्यकता किसी अन्य संबंधित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख, जिन संस्थाओं से लाभ का अनुरोध किया गया है, को भी सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।समिति की बैठक में आवेदकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है; यद्यपि आवेदकों की अनुपस्थिति स्वीकृति की प्रक्रिया को बाधित नहीं करेगी।

5.4. **अंतिम अनुमोदन** – उक्त संस्तुति प्राधिकारियों की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आवेदनों को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

i. वृहद् श्रेणी के आवेदनों को माननीय औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ii. मेगा श्रेणी के आवेदनों को माननीय मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

नोट– प्रोत्साहन–लाभ का दावा करने की पात्रता हेतु स्वीकृति प्राधिकारी (अनुच्छेद 2.15 के अनुसार) से लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति, नीति की प्रभावी अवधि के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

5.5. **यह प्रक्रिया लेटर ऑफ कम्फर्ट एवं वित्तीय अनुदान का वितरण (Disbursement) की प्रथम तथा अंतिम किस्त के अनुमोदन हेतु अपनाई जाएगी। अनुवर्ती किस्तों के वितरण (Disbursement) हेतु आवेदनों पर भी समान प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, किन्तु अंतिम अनुमोदन संस्तुति प्राधिकारी (अनुच्छेद 2.14 के अनुसार) के स्तर पर होगा।**

5.6. संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट आवेदनों के अनुमोदन के बाद, सुसंगत स्वीकृति प्राधिकारी से अनुमोदन की तिथि से 15 कार्य–दिवसों के भीतर आवेदक को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होगा।

5.7. इसी प्रकार, संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रोत्साहन के वितरण (Disbursement) के आवेदनों के अनुमोदन के बाद, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा एक शासनादेश निर्गत किया जाएगा तथा उक्त शासनादेश के आधार पर नोडल संस्था स्वीकृत प्रोत्साहन राशि आवेदक के खाते में सीधेस्थानांतरित करेगी।सुसंगत स्तर से अनुमोदन होने की तिथि से 30 कार्य–दिवसों के भीतर आवेदक को प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) कर दिया जाएगा।

6. प्रकरण–विशेष हेतु (केस–टू–केस) आधार पर प्रोत्साहन :

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022के प्रस्तर 12.4 के अनुसारविशेष महत्व की अल्ट्रा मेगा श्रेणी की परियोजनाओं को यथावश्यकता राज्य सरकार द्वारा केस–टू–केस आधार पर प्रोत्साहनों का विशेष रूप से निरूपित प्रोत्साहन (कस्टमाइज़्ड) पैकेज प्रदान किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के पैकेज में ग्रॉस एसजीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन सम्मिलित हो सकते हैं।

6.1. इस प्रकार के कस्टमाइज़्ड पैकेज, केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली परियोजनाएं, जो अन्य देशों से भारत में प्रतिस्थापित की जा रही हों तथा रणनीतिक महत्व वाली कोई अन्य निवेश परियोजनाएं, जो राज्य के 01 ट्रिलियन यूएस डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण हों, हेतु स्वीकार्य होंगे।

6.2. अतः इस प्रकार के आवेदन इस नियमावली के अनुच्छेद 4.2 के अनुसार नोडल संस्था को प्रस्तुत किए जाएंगे। इन आवेदनों की उनकी आवश्यकता एवं विशेष महत्व की दृष्टि से समीक्षा की जाएगी। इस हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक **'समझौता समिति'** गठित की जाएगी, जिसके सदस्य सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी होंगे।

6.3. निम्नलिखित सदस्यों वाली समझौता समिति आवेदनों की आवश्यकता एवं विशेष महत्व की दृष्टि से समीक्षा करेगी तथा अंतिम स्वीकार्यता हेतु माननीय मुख्यमंत्री को संस्तुति करेगी–

क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग
ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग
घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग
ङ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
च) प्रबंध निदेशक, पिकप

Manaf

छ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा तथा कोई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यथावश्यकता

ज) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को समिति में आमंत्रित किया जा सकता है।

6.4. अतः नोडल संस्था आवेदनों पर कार्यवाही करेगी तथा उन्हें समझौता समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगी। समझौता समिति द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को अंतिम स्वीकृति के लिए स्पष्ट संस्तुतियों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

6.5. ऐसे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर अनुमोदनोपरांत ही स्वीकार किये जायेंगे। नोडल संस्था आवेदक को 'पावती प्रमाणपत्र' जारी करेगी।

6.6. तदोपरांत, इन नियमों के अनुच्छेद 5 में मेगा श्रेणी के प्रकरणों के लिए परिभाषित प्राविधानों के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया लागू होगी। जिन आवेदनों की मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा कर ली जाएगी, उन आवेदनों को अंतिम संस्तुति हेतु एचएलईसी को संदर्भित किया जाएगा, जिनको माननीय मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

6.7. माननीय मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरांत आवेदक को लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रदान किया जाएगा तथा नियम व शर्तें निर्धारित की जाएंगी। यही प्रक्रिया आवेदक को किस्तों में प्रोत्साहन को संवितरित करने के लिए लागू की जाएगी।

7. आंतरिक अनुसंधान एवं विकास (इन–हाउस आर एंड डी) सुविधा हेतु प्रोत्साहन

7.1. **स्वीकार्य प्रोत्साहन**– उन पात्र औद्योगिक उपक्रमों हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन लागू होंगे जिन्हें औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अनुसार निवेश प्रोत्साहन उपादान के अंतर्गत किसी भी विकल्प को स्वीकृति दी गई है–

7.1.1. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर 12.5.1 के अनुसार, पात्र औद्योगिक उपक्रमों को ₹20 करोड़ की न्यूनतम परियोजना लागत से स्टैंडअलोन इन–हाउस आर एंड डी सुविधा विकसित करने हेतु परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹10 करोड़ की सीमा के अधीन होगी।

7.1.1.1. ऐसी स्टैंडअलोन इन–हाउस आर एंड डी सुविधा, एक औद्योगिक इकाई के भीतर या बाहर स्पष्ट रूप से सीमांकित सुविधा होनी चाहिए तथा इसे साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च विभाग, भारत सरकार (डीएसआईआर) में पंजीकृत होना चाहिए।

7.1.1.2. ऐसी इन–हाउस आर एंड डी सुविधा हेतु पात्र परियोजना लागत का अभिप्राय, अनुसंधान कार्य हेतु नीति की अवधि के भीतर प्राप्त अचल परिसंपत्तियों, अर्थात्– संयंत्र व मशीनरी, उपकरण, टूल्स व प्रौद्योगिकी को अधिप्राप्त करने की लागत (भूमि व भवन लागत को छोड़कर) से है।

7.1.1.3. इस संदर्भ में अपात्र परियोजना लागत का अभिप्राय गुडविल, प्रारंभिक एवं संचालन–पूर्व व्यय, प्रौद्यागिकी/तकनीकी जानकारी के अधिग्रहण के लिए–पुस्तकों में अंकित पूंजीकृत व्यय, परामर्श शुल्क, रॉयल्टी, डिजाइन एवं ड्रॉइंग्स, पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार तथा विद्युत

उत्पादन (कैप्टिव उपयोग को छोड़कर) से है, जिस पर पूंजी निवेश की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

7.1.1.4. प्रोत्साहन–लाभ प्राप्त करने हेतु इस प्रकार की इन–हाउस आर एंड डी सुविधा को नीति की प्रभावी अवधि में विकसित किया जाना चाहिए। यह सुविधा फर्म के व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित अभिनव अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, यथा– नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, डिजाइन एवं इंजीनियरिंग, उत्पाद विकास, विश्लेषण व परीक्षण की नई विधियों का विकास तथा संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग के लिए अनुसंधान।

7.1.1.5. आर एंड डी सुविधाएं, जो पूर्णतः बाजार अनुसंधान, कार्य एवं विधियों के अध्ययन, संचालन तथा प्रबंधन अनुसंधान, संचालन के लिए सामान्य प्रकृति का परीक्षण एवं विश्लेषण, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा दिन–प्रतिदिन के उत्पादन के रखरखाव के लिए परीक्षण तथा संयंत्र के अनुरक्षण में संलग्न हों, उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.1.1.6. इस प्रकार की परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहन के लिए नोडल संस्था द्वारा 'प्रथम आगत–प्रथम प्राप्ति'' के आधार पर नीति की अवधि में केवल 10 आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। 'प्रथम आगत आवेदनों' को इस प्रकार के आवेदनों हेतु प्रोत्साहनों का स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन (लेटर ऑफ कम्फर्ट स्वीकृति) के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

7.1.2. इन–हाउस आर एंड डी में विकसित किये गये पेटेन्ट के रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भौगोलिक सांकेतक में हुए व्यय का 50 प्रतिशत की धनराशि ₹1 करोड़ की सीमा के अधीन उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर 12.5.3 के अनुरूप उपयुक्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जायेगी, जहाँ–

7.1.2.1. पेटेन्ट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क्स/भौगोलिक सांकेतक का अभिप्राय ऐसे मानक प्रमाण–पत्र से है, जो भारत सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन किसी एजेन्सी द्वारा उपयुक्त औद्योगिक इकाई के उत्पाद/विकसित प्रोद्योगिकी को दिया गया हो।

7.1.2.2. इन–हाउस आर एण्ड डी सुविधा में पॉच वर्ष के अन्दर किये गये शोध कार्य के फलस्वरूप ऐसे प्रमाणन/पंजीकरण प्राप्त किये गये हों।

7.1.2.3. ऐसे आवेदन के पॉच वर्ष के भीतर, अर्थात इस नीति के अन्तर्गत स्वीकृत लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रमाणन/पंजीकरण प्राप्त किये गये हों।

7.1.2.4. प्रोत्साहन हेतु ऐसे पेटेन्ट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क्स/भौगोलिक संकेतकों, की उपयोगिता तथा प्रासंगिकता के सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्तुति प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

7.1.3. इन–हाउस आर एण्ड डी सुविधा अथवा पंजीकरण लागत के सम्बन्ध में उपादान आवेदक औद्योगिक इकाई को उसी दशा में प्रदान किया जाएगा, जब उसके द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार की किसी परियोजना में आर एण्ड डी सुविधा प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत न किया गया हो।

Manaf

7.2. **आवेदन प्रकिया**– यदि आवेदक प्रोत्साहन को प्राप्त करने हेतु इच्छुक हो, तो निवेश प्रोत्साहन उपादान आवेदन (लेटर ऑफ कम्फर्ट हेतु अनुलग्नक–2 तथा प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) हेतु अनुलग्नक–3) के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे–

लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख	प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) हेतु आवेदन के साथ वांछित अभिलेख
1. निम्नानुसार चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित डी0पी0आर0 में इन–हाउस आर एण्ड डी सुविधा के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण (जैसा कि उपर्युक्तानुसार निर्धारित है) • नाम एवं इन–हाउस आर एण्ड डी सुविधा की स्थिति। • प्रस्तावित आर एण्ड डी सुविधा का उद्देश्य एवं प्रयोजन। • आर एण्ड डी सुविधा हेतु प्रयुक्त उपकरण/संयंत्र व मशीनरी /कल पुर्जे का अनुमानित लागत। 2. प्रस्तावित परियोजना लागत एवं प्रोद्योगिकी पर व्यय/उत्पाद पंजीकरण–चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–11)	1. इन–हाउस आर एण्ड डी सुविधा के सम्बन्ध में साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च विभाग, भारत सरकार (डीएसआईआर) से पंजीकरण से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति। 2. समर्थित अभिलेखों के साथ इन–हाउस आर एण्ड डी सुविधा के सम्बन्ध में वास्तविक निवेश के घटक–चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित (प्रारूप–11) 3. उत्पाद/प्रौद्योगिकी पंजीकरण/ पेटेन्ट अधिप्राप्ति के मध्य में वास्तविक व्यय के विवरण बीजकों की प्रतियॉं (प्रारूप–11) 4. पंजीकरण/पेटेन्ट प्रमाण–पत्रों की प्रतियॉं 5. अन्य अभिलेख (जो आवश्यक हों)

7.3. **मूल्यांकन प्रकिया एवं वितरण (Disbursement)**

7.3.1. आवेदनों की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु नोडल संस्था की पीआईयू द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी।पीआईयू द्वारा प्रस्तावित परियोजना की सुसंगतता एवं प्रभाव के विषय में संबंधित राज्य/केंद्र सरकार के विभागों तथा संस्थाओं से भी टिप्पणी प्राप्त की जाएगी।

7.3.2. इन–हाउस आर एंड डी सुविधाओं के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रज्ञपत करने हेतु आवेदनों की सुसंगतता की समीक्षा मूल्यांकन समिति द्वारा उनकी आर्थिक क्षमता, व्यावसायीकरण की प्रकृति, प्राप्त किए जाने वाले पेटेंट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क/भौगोलिक संकेतकों के विवरण एवं सामाजिक प्रभाव के आधार पर की जाएगी। लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित आवेदनों पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

7.3.3. पूर्ण आवेदनों को राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं की टिप्पणी के साथ परियोजना की प्रासंगिकता एवं इसके प्रभाव के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन समिति (जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. भी सम्मिलित होगा) को संदर्भित किया जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी द्वारा आवेदनों को अग्रेतर संस्तुति हेतु अनुमोदित करेंगे।

7.3.4. मूल्यांकन समिति लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति अथवा प्रोत्साहनों के सम्वितरण हेतु प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट का अन्तिमीकरण सम्बन्धित संस्तुति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यहां, संस्तुति प्राधिकारी वही होगा जो मुख्य औद्योगिक इकाई के लिए है।

7.3.5. संस्तुति प्राधिकारी द्वारा अपनी संस्तुतियों के साथ आवेदन को संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा, जो लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति अथवा प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) के लिए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करेगा।

7.3.6. ऐसे आवेदनों के संबंध में नोडल संस्था द्वारा स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि से 15 कार्य–दिवसों के भीतर लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा।

7.3.7. आंतरिक (इन–हाउस) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) हेतु प्रोत्साहन के लिए–आवश्यक पेटेंट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क/भौगोलिक संकेतक पंजीकृत/प्राप्त होने के पश्चातआवेदन किए जाएंगे।

7.3.8. एकल (स्टैंडअलोन) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सुविधा के विकास हेतु नीति के प्रस्तर 12.5.1 (iv) में परिभाषित प्रोत्साहनों का वितरण (Disbursement) किया जाएगा।

i. परियोजना के अनुमोदन, अर्थात् लेटर ऑफ कम्फर्ट की स्वीकृति के पश्चात नोडल संस्था द्वारा अनुमन्य प्रोत्साहन की 50 प्रतिशत धनराशि संवितरित की जायेगी।

ii. अनुमन्य प्रोत्साहन राशि की अगली 25 प्रतिशत किस्त लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने के 03 वर्ष पश्चात दी जायेगी।

iii. अन्तिम किस्त, अर्थात– 25 प्रतिशत अनुमन्य प्रोत्साहन पांच वर्षों के लब्ध परिणाम के उपरान्त अनुमन्य होगा। अन्तिम प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु संगत अभिलेखों/पंजीकृत पेटेन्ट/कॉपीराइट/ट्रेडमार्क/भौगोलिक संकेतक प्रस्तुत करने होंगे।

iv. आवेदक को प्रोत्साहन के प्रत्येक किस्त के वितरण (Disbursement) हेत पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक आवेदन हेतु नोडल संस्था (Nodal Agency) द्वारा समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

7.3.9. इन–हाउस आर एंड डी के परिणामस्वरूप पंजीकृत पेटेन्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक हेतु प्रोत्साहन वितरण (Disbursement) के लिए प्रासंगिक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।

7.3.10. नोडल संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरांत प्रोत्साहन–लाभों का वितरण (Disbursement) 30 कार्य–दिवसों के भीतर कर दिया जाए।

8. विविध प्राविधान

8.1. औद्योगिक उपक्रमों की समस्त श्रेणियों में आवेदक द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने की तिथि से छह माह के भीतर एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) अथवा उक्त बैंकों या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन नोट की एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

8.2. परियोजना की प्रकृति में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के लिए आवेदन, अथवा परियोजना की लागत में संशोधन/परिवर्तन जिससे इसकी श्रेणी परिवर्तित हो जाए या लेटर ऑफ कम्फर्ट की शर्तों में परिवर्तन आदि के लिए औद्योगिक उपक्रम द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा नोडल संस्था द्वारा स्वयं या एक सुसंगत राज्य विभाग के माध्यम से इसका परीक्षण किया जाएगा तथा संबंधित संस्तुति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

8.3. लाभ की निर्धारित सीमा (परिमाण/अवधि), अथवा नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट को स्वचालित रूप से निरस्त माना जाएगा। यदि औद्योगिक उपक्रम द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी मिथ्या पाई जाती है अथवा भौतिक तथ्यों को छुपाने के आधार पर लाभ प्राप्त किए गए हैं, तो लेटर ऑफ कम्फर्ट/स्वीकृति नितस्त कर दी जाएगी तथा उपक्रम को अवमुक्त किए गए समस्त लाभ भू–राजस्व के बकाया के रूप में प्रत्येक प्रत्येक प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करने की तिथि से वसूल किए जाने की तिथि तक 12 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा।

8.4. इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएँ, राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी (निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य की किसी योजना के अंतर्गत प्राप्त किसी भी प्रकार के उपादान/प्रोत्साहन को छोड़कर, बशर्ते कि यह उपादान/प्रोत्साहन औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के समान शीर्ष के अंतर्गत न हो)। इस नीति में निर्दिष्ट सभी प्रोत्साहनों का लाभ भारत सरकार की किसी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

8.5. समस्त पात्र औद्योगिक उपक्रमों द्वारा वितरण (Disbursement) की शर्त के रूप में समय–समय पर नोडल संस्था अथवा उ.प्र. शासन द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की जानी होगी, अर्थात– उत्पादन, विक्रय, उत्पादन में बाधा, यदि कोई हो, इकाई के बंद होने आदि के स्पष्ट कारणों के साथ विस्तृत विवरण, स्थायी पूंजी निवेश में वृद्धि के प्रमाणित विवरण, यदि कोई हो, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय/हानि, यदि कोई हो, तथा इकाई के गठन में परिवर्तन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर खातों के लेखापरीक्षित विवरण एवं पात्र इकाई की बैलेंस शीट आदि।

8.6. यदि नीति के अंतर्गत स्वीकृत प्रोत्साहनों के वितरण (Disbursement) की अवधि के भीतर एक पात्र औद्योगिक उपक्रम को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशानुसार अथवा अन्यथा एक नई इकाई द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है, तो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर 16.7 के अनुसार नई इकाई, शेष अवधि के लिए उन समस्त प्रोत्साहनों को प्राप्त करने की पात्र होगी, जो मूल औद्योगिक उपक्रम को इस नीति के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे। मूल औद्योगिक उपक्रम को स्वीकृत प्रोत्साहनों को, नई इकाई को संवितरित करते समय, नई इकाई द्वारा मूल रूप से निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूर्ण करना होगा।

8.7. विलय/डीमर्जर/समामेलन/संरचना में परिवर्तन के माध्यम से गठित उत्तराधिकारी संस्थाएं तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरण इस नीति के अंतर्गत ऐसे प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे, क्योंकि यह मूल औद्योगिक उपक्रम को उपलब्ध था।

9. नीति का प्रशासन

9.1. नोडल संस्था द्वारा सूचीबद्ध अभियंताओं/मूल्यांकनकर्ताओं तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के माध्यम से औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किए गए पूंजी निवेश के सत्यापन हेतु किए गए व्यय को आवेदक कंपनियों द्वारा वास्तविक आधार पर वहन किया जाएगा।

9.2. नीति के प्रस्तर 16.13.6 के अनुसार संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी, किसी भी आवेदक द्वारा नीति के प्राविधानों एवं अनुवर्ती दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने से पूर्व अनुरोध किए गए चरणों की संख्या एवं उनकी अवधि, कट–ऑफ तिथि में परिवर्तन, समान श्रेणी के भीतर पूंजी निवेश में परिवर्तन तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि आदि में परिवर्तन को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे।

9.3. नीति की कोई भी स्पष्टता अथवा व्याख्या प्रदान करने एवं नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु उच्च–स्तरीय प्राधिकृत समिति (एचएलईसी) अधिकृत होगी।

9.4. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के प्रस्तर 16.2 के अनुसार नीतिगत संशोधनों को स्वीकृत करने के लिए केवल मा. मंत्रिपरिषद ही अधिकृत है। इस नीति में किसी भी संशोधन की स्थिति में, नीति में संशोधन से पूर्व स्वीकृत प्रोत्साहनों के प्रतिबद्ध पैकेज को वापस नहीं लिया जा सकता है तथा इकाई लाभों को प्राप्त करने की अधिकारी बनी रहेगी।

9.5. तथापि, इस नियमावली तथा इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्रों में किसी संशोधन या परिवर्तन की आवश्यकता होने पर, औद्योगिक विकास विभाग ऐसा संशोधन या परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा।

9.6. प्रोत्साहन योजना से संबंधित समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

9.7. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समय नोडल संस्था के खाते में शेष धनराशि(Account balance) न्यूनतम ₹100 करोड़ अवश्य हो। इस हेतु नोडल संस्था, वितरण (Disbursement) किए जाने के तुरंत पश्चात अथवा त्रैमासिक आधार पर, जो भी पहले हो, अपने खाते की शेष राशि की पुनः पूर्ति हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के समक्ष मांग प्रस्तुत करेगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, राज्य सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के बजट में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के लिए स्वीकृत राशि में से धनराशि स्थानांतरित करेगा।

9.8. वित्त विभाग द्वारा इस नियमावली के अधीन बजट प्राविधानों के लेखा शीर्ष का आवंटन किया जाएगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग कंट्रोलिंग एंड एस्टीमेट अथॉरिटी होगा तथा सुसंगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा पूरक मांगों को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, औद्योगिक उपक्रमों की वृहद् एवं मेगा श्रेणियों के संबंध में नोडल संस्था को बजट प्राविधान की संपूर्ण राशि प्रदान की जाएगी। अन्य विभागों से संबंधित लाभों हेतु बजट का प्राविधान संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा।

3– उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु समस्त आवेदकों (औद्योगिक उपक्रमों) को इस दिशा–निर्देश के निर्गत होने के 06 माह के भीतर नोडल संस्था (Nodal Agency) के समक्ष आवेदन किया जाना होगा। उक्त अवधि में प्राप्त समस्त पात्र आवेदनों का सम्यक परीक्षण कर अधिकतम 01 वर्ष की अवधि में गुण–दोष के आधार पर 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (एलओसी) निर्गत किया जाएगा।

4– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु दिशा–निर्देश एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया" का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

14.4.23

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या–२१ /2023/1307(1)/77–6–23–2(एम)/2022, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पीयूष वर्मा)
विशेष सचिव।

Annexure-1

Registration Form

(Unique ID generated on submission)

Sl.	Head	Details	Supporting documents
1	**Name of applicant**		Certificate of Incorporation, registered partnership deed, trust /society registration deed
2	**Contact details of applicant** **a. Email** **b. Mobile** **c. Address**		Certificate of Incorporation, registered partnership deed, trust /society registration deed
3	**PAN No of applicant**		Copy of PAN
4	**Name of proposed unit**		
5	**Brief Project details**		
6	**Location of proposed unit**		
7	**Constitution of unit (Company/ Partnership Firm/ Others)**		Copy of MoA/ AoA/ Partnerships deed/ Byelaws, Etc.
8	**Registration Number of unit**		Copy of Registration certificate
9	**GSTIN of unit**		Copy of GSTIN
10	**IEC Code (if available)**		
11	**Nature of business of the proposed unit (Industrial Categorization as per ID&R Act/NIC)**		
12	**Registration or License for setting up Industrial Undertaking**		Enclose acknowledgement of IEM/ IL
13	**Details of authorised signatory**		
	a. Name b. Designation c. Contact details Email Phone no Address d. PAN No		Copy of Board Resolution
14	**Beneficiary Bank Details** (Name, Account No, Name of Bank, IFSC Code)		Copy of Bank Passbook

Annexure-2

Application Form for Sanction of Letter of Comfort under UP IIEPP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**Name of proposed unit**		DPR in prescribed format
3	**Brief Project details**		DPR in prescribed format
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		DPR in prescribed format
5	**Constitution of unit (Company/ Partnership Firm/ Others)**		Copy of MoA/ AoA/ Partnerships deed/ Byelaws, Etc.
6	**Registration Number of unit**		Copy of Registration certificate
7	**GSTIN of unit**		Copy of GSTIN
8	**IEC Code (if available)**		
9	**Nature of business of the proposed unit (Industrial Categorization as per ID&R Act/NIC)**		
10	**Registration or License for setting up Industrial Undertaking**		Enclose acknowledgement of IEM/ IL
11	**Proposed Investment (INR Cr)**		DPR in prescribed format Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
12	**Status of Industrial Undertaking (Tick mark)**	New Expansion Diversification	DPR in prescribed format
12A	**Details required in . of Expansion/ Diversification**		DPR in prescribed format

Sl	Existing Products	Existing Installed Capacity	Proposed Products	Proposed Installed Capacity	Existing Gross Block	Proposed Gross Block

13	**Category of the project (Tick mark)**	Large/ Mega/ Super Mega/ Ultra Mega	DPR in prescribed format Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
14	**Whether the Unit is set up by acquiring a sick unit & its asset? (Y/N)** If Y – Estimated cost of acquisition of such sick unit and its assets (INR Cr)		DPR in prescribed format And copy of supporting documents for acquiring sick unit
15	**Whether applied for LoC under IIEPP 2017 (Y/N)**		

16	**Promoter/ Director information (Supported by Copy of PAN & DIN numbers)**			
Sl	Name	Designation	Contact Details (Address/ Mobile/ Email)	PAN & DIN Numbers

17	**Estimated Employment**		

(17A) Estimated Employment				DPR in prescribed format
Year	Male	Female	Total	

18	**Is the capital investment proposed in phases (Y/N)**		DPR in prescribed format

19	**Brief overview of phases of proposed investment and commercial production**		
Sl	Phase (Year)	Estimated Investment (INR Cr)	Date of start of Commercial Production

20	**Proposed Date of project completion**		DPR in prescribed format
21	**Proposed date of Commencement of Commercial Production**		DPR in prescribed format

(22) Proposed Production (Product wise)			DPR in prescribed format
Product Name:--------		**Installed Capacity per annum**	**Estimated production per annum**
Phase-1 (FY_)			
Phase-2 (FY_)			
Phase-3 (FY_)			

23	**Details of authorised signatory**		
	a. Name b. Designation c. Contact details Email Phone no Address d. PAN No		Copy of Board Resolution
25	**Beneficiary Bank Details** (Name, Account No, Name of Bank, IFSC Code)		Copy of Bank Passbook

Part-B: Incentives requested -

Sl	Item	Details
1	Choice of option (Tick mark)	Option-1/ Option-2/ Option-3
BENEFITS REQUESTED (in INR Cr)		
2	**Investment Promotion Subsidy** Option-1 Capital Subsidy Or	

	Option-2 – Net SGST Reimbursement Or Option-3 – PLI top up	
3	**Stamp Duty exemption**	
4	**Incentive for In-house R&D facility (if any)** 4A. Subsidy on In-house R&D 4B. Subsidy on Registration of Patent/ Copyright/ Trademark/ G.I Registration	
5	**Case to Case Incentives**	
5A	If Y – Please provide head-wise incentives claimed	
6	If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)	
6A	If Y - Name of such Scheme	
6B	If Y - Incentive claimed (INR Cr)	

Note: Besides submitting the formats prescribed in these Guidelines, the applicant will have to submit the following supporting documents as well -

1) Detailed Project Report (DPR) should be prepared by external consultant / Chartered Accountant
2) Charted Accountant's Certificate for existing gross block industrial undertaking must be annexed if it is an existing unit
3) Chartered Engineer's Certified List of Fixed Assets of existing industrial undertaking in support of gross block must be annexed if it is an existing unit

Annexure-3

Application Form for Disbursal of Incentives under UP IIEPP 2022

Part-A: Project Details

Sl	Head	Details	Supporting documents
1	**Unique ID No.**		Nivesh Mitra Registration Form
2	**LoC No & Date of Issuance**		Copy of LoC sanctioned
3	**Name of proposed unit**		
4	**Location of project** **a. District** **b. Region**		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant
5	**Actual investment (INR Cr)**		Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
6	**Mention the phase of investment for which the application is made**		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant
7	**Category of the project (Tick mark)**	Large/ Mega/ Super Mega/ Ultra Mega	Format – 1 (C.A certified Investment Break up)
8	**Status of Industrial Undertaking (Tick mark)**	New Expansion Diversification	Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant
8A	**Brief details of investment**		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant and Format – 1 (C.A certified Investment Break up)

Sl	Items	New/ Existing	Expansion/ Diversification	% of increase under Expansion/ Diversification
i	Land			
ii	Building			
iii	Other construction			
iv	Plant & Machinery			
v	Infrastructure facilities			
vi	Any other cost (if any)			
	Total			

9	**Whether the Unit is set up by acquiring a sick unit & its asset? (Y/N)** If Y – Actual Cost of acquisition of such sick unit &its assets (INR Cr)		Enclose certificate from concern Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre & Chartered Accountant and Format – 1 (C.A certified Investment Break up) along with

			Copy of supporting documents for acquiring sick unit

Sl	Items	Investment in sick unit (Rs Cr)
i	Land	
ii	Building	
iii	Other construction	
iv	Plant & Machinery	
v	Infrastructure facilities	
vi	Any other cost (if any)	
	Total	

10	**Whether the unit is formed through merger/ demerger/ amalgamation/ change in constitution? (Y/N)**		Copy of supporting documents against such mergers/ demergers/ amalgamation / etc.

(11) Employment Generated			Copy of EPF Register
Year	Male	Female	Total

12	**Date of project/ phase completion**		
13	**Date of Commencement of Commercial Production for the phase for which application is made**		

Part B- Incentives claimed –

1	Investment Promotion Subsidy (Tick mark)	Option-1 Option-2 Option-3
2	Incentive In-House R&D (Y/N)	
(3) Details of Incentives Claim (INR Cr)		
3A	Investment Promotion Subsidy Capital Subsidy/ Net SGST Refund/ PLI top up	
3B	Stamp Duty exemption	
3C	Incentive for In-house R&D facility (if any) i. Subsidy on In-house R&D ii. Subsidy on Registration of Patent/ Copyright/ Trademark/ G.I Registration	
(4) Declarations of incentives claimed (instalments) under IIEPP 2022		
4A	No of instalments of incentive already claimed	
4B	**Incentive instalment already claimed (INR Cr)**	

Sl	Incentive Head	Incentive Amt (Rs Cr)
	Capital Subsidy/ Net SGST/ PLI Top up	
	In-house R&D	

(5) If any incentive claimed under any GoI incentive? (Y/N)		
5A	If Y - Name of such Scheme	
5B	If Y - Incentive claimed under such scheme (INR Cr)	

Note: Besides, the format prescribed in these Guidelines, the applicant will need to submit the following supporting documents –

a) Registered document showing purchase price, Receipt of payment of stamp duty, receipt of payment of registration fee

b) If land purchased from UPSIDC/DI/FIs/Banks in auction, supporting documents for price paid.

c) Detailed cost estimates of building and civil works constructed or to be constructed (as per DPR/Appraisal Note) and supported with layout plans and cost estimates prepared by external consultants/CA firms and cost incurred duly certified by statutory auditors.

d) The cost of proposed/actual capital investment in the head of plant and machinery and misc. fixed assets should be shown itemized in accordance with the provisions of the Guidelines for scrutiny, verification, and certification.

e) Declaration of commencement of commercial production

f) 12-Month purchase and sales bills, 12-Month electricity bill

Annexure 4

क्षेत्रवार जनपदों की सूची

पूर्वान्चल	बुन्देलखण्ड	पश्चिमांचल
फैजाबाद मण्डल	**झांसी मण्डल**	**आगरा मण्डल**
1. फैजाबाद	1. झांसी	1. आगरा
2. अम्बेडकरनगर	2. जालौन	2. फिरोजाबाद
3. बराबंकी	3. ललितपुर	3. मैनपुरी
4. सुल्तानपुर	**चित्रकूट**	4. मथुरा
5. अमेठी	4. बांदा	**अलीगढ मण्डल**
गोरखपुर मण्डल	5. चित्रकूट	5. अलीगढ
6. गोरखपुर	6. हमीरपुर	6. हाथरस
7. देवरिया	7. महोबा	7. कासगंज
8. महाराजगंज		8. एटा
9. कुषीनगर		**मुरादाबाद मण्डल**
प्रयागराज मण्डल	**मध्यांचल**	9. मुरादाबाद
10. प्रयागराज	**कानपुर मण्डल**	10. बिजनौर
11. कौशाम्बी	1. कानपुर नगर	11. सम्भल
12. फतेहपुर	2. कानपुर देहात (रमाबाईनगर)	12. रामपुर
13. प्रतापगढ	3. इटावा	13. अमरोहा
वाराणसी मण्डल	4. औरैया	**मेरठ मण्डल**
14. वाराणसी	5. फर्रुखाबाद	14. मेरठ
15. चन्दौली	6. कन्नौज	14. बुलन्दषहर
16. जौनपुर	**लखनऊ मण्डल**	16. हापुड
17. गाजीपुर	7. लखनऊ	17. बागपत
मिर्जापुर मण्डल	8. हरदोई	18. गौतमबुद्ध नगर
18. मिर्जापुर	9. लखीमपुर खीरी	19. गाजियाबाद
19. सन्तरविदासनगर (भदोही)	10. रायबरेली	**सहारनपुर मण्डल**
20. सोनभद्र	11. सीतापुर	20. मुजफ्फरनगर
आजमगढ मण्डल	12. उन्नाव	21. शामली
21. आजमगढ		22. सहारनपुर
22. बलिया		**बरेली मण्डल**
23. मऊ		23. बरेली
देवीपाटन मण्डल		24. बुदायूं
24. गोण्डा		25. पीलीभीत
25. बहराइच		26. शाहजहांपुर
26. बलरामपुर		
27. श्रावस्ती		
बस्ती मण्डल		
28. बस्ती		
29. सन्तकबीरनगर		
30. सिद्धार्थनगर		

Annexure 5

List of Production Linked Incentives (PLI) Schemes of Govt of India

Sl.	Name of Scheme	Implementing GoI Deptt.	Sl.	Name of Scheme	Implementing GoI Deptt.
1	Advance Chemistry Cell (ACC) Battery	DHI	8	High Efficiency Solar PV Modules	MNRE
2	Electronic/ Technology Products: IT Hardware	MEITY	9	Pharmaceuticals drugs	Deptt of Pharm
3	White Goods (ACs & LED)	DPIIT	10	Medical Devices	Deptt of Pharma
4	Large Scale Electronics Manufacturing	MEITY	11	Key Starting Materials (KSMs)/Drug Intermediates (DIs) & Active Pharma Ingredients (APIs)	Deptt of Pharma
5	Telecom & Networking Products	DoT	12	Speciality Steel	MoSteel
6	Automobiles & Auto Components	DHI	13	Textile Products: MMF segment and technical textiles	MoTextiles
7	Drones & Drone Components	Civil Aviation	14	Food Products	MoFPI

Format – 1

FORMAT FOR DPR (Suggestive)

1. **Executive Summary**
2. **The Project**
   - 2.1 Details of Project & Product
   - 2.2 Capacity & Production
   - 2.3 The Company- (Including Details of Group Companies & Financial Performance during last 3 years)
   - 2.4 Promoters' Background
   - 2.5 Detailed Break up of Cost of Project
     - 2.5.1 Land Cost
     - 2.5.2 Stamp Duty & Registration Fees paid
     - 2.5.3 Building Cost
     - 2.5.4 Other Construction Cost
     - 2.5.5 Plant & Machinery
     - 2.5.6 Cost of Developing Infrastructure facilities
     - 2.5.7 Any other (Cost)
     - 2.5.8 Total-Cost of Project
   - 2.6 Break up of Costs incurred in acquiring Sick units & its assets
     - 2.6.1 Land Cost
     - 2.6.2 Stamp Duty & Registration Fees paid
     - 2.6.3 Building Cost
     - 2.6.4 Other Construction Cost
     - 2.6.5 Plant & Machinery
     - 2.6.6 Cost of Developing Infrastructure facilities
     - 2.6.7 Any other (Cost)
     - 2.6.8 Total-Cost of Project
   - **2.7 Details of In-House R&D Facility (if any)**
     - 2.7.1 Title, Location (Inside/ Outside premises)
     - 2.7.2 Purpose, Objective, Expected outcome
     - 2.7.3 Details of the research work including benefits to manufacturing sector/ industry, social impact,
     - 2.7.4 Capital Cost for the research work – Land, Building, Plant & Machinery, Equipment, Tools, Technology acquired & other Fixed Assets
     - 2.7.5 Collaborations/ Expertise acquired for the research
     - 2.7.6 Status of registration with the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India (DSIR)
   - 2.8 Present Status of the Project
3. **Means of financing**
   - 3.1 Equity: - Promoters' Contribution & Source/Internal Accruals/Details of Fund Arrangement from External Sources etc.
   - 3.2 Debt Contribution Source & Cost of Debt
4. **Land Details & Logistics**
   - 4.1 Character of Land
   - 4.2 Requirement of Land Area
   - 4.3 Ownership of the Land

- 4.4 Present Status of Land
- 4.5 Location of Land

5. **Details of Proposed Building- Section wise Layout, Measurement, Type of Construction etc.**
6. **Details of Plant & Machinery & MFA**
   - 6.1 Technology Used
   - 6.2 Possible Source of Equipment's/Machine Suppliers
   - 6.3 Cost & Quantity
   - 6.4 Specification & Supplier
   - 6.5 Erection & Commissioning Arrangement
   - 6.6 Pollution/Wastage- Controlling Measures
   - 6.7 Machines to be installed for adhering to pollution norms
7. **Procurement Strategy of Raw Material & Other inputs**
   - 7.1 Raw Material Availability
   - 7.2 Sources of Procurement
   - 7.3 Process of Procurement
   - 7.4 Costing
8. **Narration of Manufacturing Process**
   - 8.1 Process Flow Diagram
   - 8.2 Machine Layout Plan
   - 8.3 Process Flow Table
9. **Infrastructure Requirement &Source**
   - 9.1 Power
   - 9.2 Water & Sewerage
   - 9.3 Others
10. **Manpower Requirement- Breakup**
    - 10.1 Direct Manpower Employment Requirement (Skilled, Semiskilled, Unskilled etc.)
    - 10.2 Indirect Employment Generation Possibilities
11. **Market**
    - 11.1 Sector Background - Market Scenario , Major Players, Demand Supply Gap & Opportunities, Marketing Strategy, Network
    - 11.2 Approach
12. **SWOT Analysis**
13. **Financial Analysis**
    - 13.1 Cost Estimates
    - 13.2 Working Capital Requirement
    - 13.3 Revenue Projections
    - 13.4 Fund Flow Statement
    - 13.5 Financial Ratios
    - 13.6 Break Even
    - 13.7 Term loan
    - 13.8 Internal Rate of Return
    - 13.9 Techno-Commercial Viability Assessment
    - 13.10 Project Implementation Key Dates (from first investment to last investment)
    - 13.11 Total Fixed Capital
    - 13.12 Gross Block & Net Worth of the Company

Manaf

Format – 2

Format for CA/ Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) for Proposed/ Actual Fixed Capital Investment made by the applicant Industrial Undertaking

M/s. .....

(Rupees in Crores)

Sl. No.	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Proposed Investment in the project (As per Bank Appraisal)	Amount invested prior to Cut-off Date (first date of investment)	If any investment made in the proposed project prior to 04.11.2022 , then		If investment made in the proposed project after 04.11.2022 then indicate amount invested from Cut-off Date till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from Cut – off Date)
					Indicate amount invested from Cut-off Date till 04.11.2022	Indicate amount invested from 04.11.2022 till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from 04.11.2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Land Cost (Actual price/ allotment price)			.....			
2.	Stamp Duty paid						
3.	Registration fees paid						
4.	Building Cost						
5.	Other construction cost						
6.	Plant & Machinery						
7.	Cost of developing infrastru						

	cture facilities						
8.	Any other cost including In-house R&D (if applicable)						
	Total (1 to 8)						

This is to certify that the above information has been examined by us and duly certified by the authorized signatory of the statutory auditor/Chartered Accountant in support of availing sanction of incentives by M/S..... (name of the company) under UP IIEPP 2022 and found correct. **We hereby also certify that no investment has been made in the proposed project prior to first date of investment.**

(Signature, Address, Seal & Membership No. of Chartered Accountant) OR (Signature of the Authorized Signatory of Statutory Auditor)

Format – 3

Format for CA/ Statutory Auditors Certificate (with membership no. of CA on their letter head) proposed/ actual Sources of Investment made by the applicant Industrial Undertaking

M/s. .....,

(Rupees in Crores)

S.No.	Particulars	Proposed Investment in the project (As per DPR)	Proposed Investment in the project (As per Bank Appraisal)	Amount invested prior to Cut-off Date (first date of investment)	If any investment made in the proposed project prior to 04.11.2022, then		If investment made in the proposed project after 04.11.2022 then indicate amount invested from Cut-off Date till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from Cut – off Date)
					Indicate amount invested from Cut-off Date till 04.11.2022	Indicate amount invested from 04.11.2022 till the date of commencement of commercial Production (if project is being set up in phases, phase-wise investment be indicated from 04.11.2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	**Equity**						
1.1	Equity Share Capital						
1.2	Internal Cash Accruals						
1.3	Interest Free Unsecured Loans						
1.4	Security Deposit						
1.5	Advances from Dealers						

1.6	Other, If any						
2.0	Loans						
2.1	From FI's						
2.2	From Bank						
2.3	Other, If any						
3.0	Total						

This is to certify that the above information has been examined by us and duly certified by the authorized signatory of the statutory auditor/Chartered Accountant in support of availing sanction of incentives by M/S..... (name of the company) under UP IIEPP 2022 and found correct. **We hereby also certify that no investment has been made in the proposed project prior to first date of investment.**

(Signature, Address, Seal & Membership No. of Chartered Accountant) OR (Signature of the Authorized Signatory of Statutory Auditor)

Format – 4

Declaration

The information provided while filling online form on Nivesh Mitra Portal to avail sanction of incentives under UP IIEPP 2022 is completely true, and no fact has been concealed or misrepresented. It is further certified that the company has not applied for benefits under any sector-specific or other policy of the Government of Uttar Pradesh.

It is also certified that, the details of financial assistance taken from Government of India Schemes, if any as provided in the application is true and in case of any dovetailing of this scheme with Central Government policies/schemes, the Company would not claim incentives more than upper ceiling defined in the policy from all the schemes put together and in such a case Government of Uttar Pradesh financial assistance shall be reduced to that extent.

I/we hereby agree that I/we shall forthwith repay the benefits released to me/us under UP IIEPP 2022, if the said benefits are found to be disbursed in excess of the amount actually admissible whatsoever the reason.

Signature of Authorised Signatory with

Name, Designation and Office Seal

Date:

Place:

Format 5

Details of Raw Material and other overheads

(1) Details of Raw material procured							
Sl	GSTIN of the Supplier	Name of the Supplier	Invoice Details				
			Invoice No.	Date	Unit	Taxable Value	Tax amount

(2) Details of Overhead charges			
2A	Bills of Electricity/Power/ Fuel		
2B	Labour Payment & PF Challan		PF Challan & Payment details
2C	Insurance Cover (INR Cr)		

Format 6

Details of Plant & Machinery

Sl.	Head	Details	Documents Required
1	**Manufacturing Process flow**		Separate Process Flow to be attached
2	**Manufacturing Basis**	Labour intensive/ Machine Intensive	
3	**Production Capacity (Product wise)**		Detailed report may be attached
4	**Standard Manufacturing Period (in months)**		

5	**Installed Machinery**							
Sl	GSTIN of the Supplier	Name of the Supplier	Invoice Details					
			Invoice No.	Date	Unit	Taxable Value	Tax amount	Capacity of Output in units

6	**Input Out Ratio** (Year wise)	Year1	Year2	Year 3	Year4	Year5

Format-7

Details of Actual Production

Actual Production		
Product Name:	Production Qty (in units)	Production Value (in INR Crores)
Phase-1 (FY_)		
Phase-2 (FY_)		
Phase-3 (FY_)		

Format 7A – Details of Export

(If Export booster applicable)

Product Name:				
Year	**Total Production**		**Total Exports**	
	In units	**In Value (Rs Cr)**	**In units**	**In Value (Rs Cr)**

Supporting documents – Copy of shipping bills invoices

Format 8
Details of Stock Insurance Cover

Details of Insurance cover						
Sl	Name of Insurance Co.	Policy No.	Sum Assured	Amount of Stock	Validity from—to—	Insurance Coverage

Format 9

Turnover details of Past five years (excluding stock transfer)

(as per Row5N of GSTR9)

Year	Turnover	IGST	CGST	SGST
Year 1				
Year 2				
Year 3				
Year 4				
Year 5				

Documents

1. GSTIN Certificate issued by Competent Authority
2. Payment challans of Total GST paid during the F.Y.
3. GST for FY Eligible amount of deposited GST for reimbursement for FY
4. Unit level audited accounts for the relevant financial year (for which GST reimbursement is being claimed)
5. GST Audit Report for the relevant financial year for the unit (standalone GST statement/report for the unit certified by a Chartered Accountant)
6. CA Certificate for sales reconciliation of Manufactured Goods/Trading goods/Scrap/Stock Transfer and SGST paid towards the same separately.

Format 10

Details of GST Deposited and Refund claim

Part-A:

Details to be submitted by the Claimant based on its account books duly certified by the Statutory Auditors of the Unit / RBI empanelled Category-1 CA firm

Note: If the unit also undertakes any activity other than the manufacture of goods, it has to submit its bifurcated figures in each of the details being prescribed below.

(i) Details of total sales and intra-state supplies (consolidated figures to be submitted for the whole quarter)

Sl	Particulars	Details
1	Total outward taxable supplies of the quarter	
2	Total intra-state taxable supplies of the quarter	
3	Difference, if any, with the intra-state supplies declared in returns filed for the corresponding period	

(ii) Details of SGST paid on intra-state supplies (for the whole quarter)

Sl	Particulars	Rate of Tax	Value of taxable intra-state supplies	Total liability		
				CGST	IGST	SGST
1	Intra-state supplies Total	5% 12% 18% 28% -				
2	ITC adjusted					
3	Net payable Tax (in cash) (1)-(2)					
4	Tax paid by challans (Challan wise details to be given)					
5	Tax paid on inward supplies liable to reverse charge					
6	Net tax paid by challans on intra-state supplies (4)-(5)					
7	Amount of SGST liable to be reimbursed					
Note- If there is any difference between the figures at item no. 3 and item no. 6, it must be explained adequately.						

(iii) Quantitative details of production and supply of finished goods during the quarter (To be given in respect of all the finished products being manufactured by the unit)

Description of finished product	**Opening Balance (in units)**	**Production (in units)**	**Supply/ despatch to ex-UP branches (in units)**	**Supply/ despatch with in State (in units)**	**Closing Balance (in units)**

(iv) Quantitative details of five most important input procured (in terms of value & rate of GST)

Description of raw material/ input procured	**Opening Balance (in units)**	**Receipts during quarter (in units)**	**Consumed during quarter (in units)**	**Closing Balance (in units)**

Documents

1. GSTIN Certificate issued by Competent Authority
2. Payment challans of Total GST paid during the F.Y.
3. GST for FY Eligible amount of deposited GST for reimbursement for FY
4. Unit level audited accounts for the relevant financial year (for which GST reimbursement is being claimed)
5. GST Audit Report for the relevant financial year for the unit (standalone GST statement/report for the unit certified by a Chartered Accountant)
6. CA Certificate for sales reconciliation of Manufactured Goods/Trading goods/Scrap/Stock Transfer and SGST paid towards the same separately.

Format 11

Details of Proposed/ Actual Project Cost of In-House R&D

Sl.	Head	Details
1	**Name of proposed R&D facility**	
2	**Location**	Inside / Outside premises
3	**Brief objective & purpose of R&D facility**	
4	**Outcome of the facility**	
5	**Project Cost (Rs Cr)** Break-up of Costs incurred in following heads a. Plant & Machinery b. Office Equipment c. Tools d. Any other fixed asset e. Registration costs incurred on acquiring Patents/ Copyrights/ Trademark/ G.Is	
6	**Means of finance (Rs Cr)** a. Host Industrial unit b. Financial Institute c. Other Sources Total	
7	**Year wise work plan of proposed R&D**	

Note: Applicant must submit Format-11 certified by an external C.A.

Supporting documents –

(A) Required at the stage of LoC Sanction

1) Prescribed DPR in the required format

2) Affidavit on a stamp paper stating that the host industrial unit has not claimed any assistance from any other departments of State Govt/ GoI for the said R&D unit.

(B) Required at the stage of Disbursal

1) Copy of documents for registration of the In-House facility with the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India (DSIR)

2) Copy of supporting bills/ invoices of the P&M, Equipment, Tools, etc.

3) Copy of certificates/ documents of Patents/ Trademarks/ Copyrights/ Geographical Indicators acquired/ registered.

4) Affidavit on a stamp paper stating that the host industrial unit has not claimed any assistance from any other departments of State Govt/ GoI for the said R&D unit.